न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस.(डी.जे.केडर)
सेशन प्रकरण सं0	–	36/2025
सी.आई.एस. नंबर	–	39/2025
C.N.R. Number	–	RJHG010006592025
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0	–	818/2024 पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन

राजस्थान राज्य

बनाम

हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सुभाष निवासी वार्ड नंबर 10, भूनावाली ढाणी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 332, 109 (1), 78 (2)352, 64 (1)
भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट

उपस्थिति –
श्री मनोज कुमार शर्मा, लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।
श्री सुखवीर भाम्भू, अधिवक्ता– परिवादी की ओर से।
श्री सुशील कुमार छाबड़ा, अधिवक्ता– अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांक – 14.07.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.12.2024 को परिवादिया रज्जो देवी ने अपने लड़के के साथ पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह चक 13 एम.डी. खेत में ढ़ाणी भूनावाली ढ़ाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़ की निवासी है। उसकी पुत्री पीड़िता बी.एड. व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है। मुलजिम हनुमान भूनावाली ढ़ाणी का है, जो आवारा किस्म का व्यक्ति है, जो काफी दिनों से उसकी पुत्री को परेशान कर रहा है। उसकी पुत्री के साथ मित्रता करना चाहता है। उसकी पुत्री जब भी कोचिंग हेतु लाईब्रेरी जाती है, तो वह पीछा करता और फब्तियां कसता है। काफी बार उसे रोका लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज शाम करीब 05.30 बजे वह, उसकी पुत्री व पुत्रवधू घर में अकेली थी, इतने में मुलजिम हनुमान प्रसाद, उसका पिता सुभाष मोटरसाईकिल पर सवार होकर अपने हाथ में नाजायज पिस्तौल लेकर आये और उसके घर में जबरन घुसे और आते ही उसकी पुत्री के साथ गाली–गलौच करने लगे। जब उसने मुलजिमान को गाली–गलौच करने से रोका,

तो मुलजिम हनुमान ने पास में खड़ी उसकी पुत्री पर पिस्तौल से फायर कर दिया, जिसकी गोली उसकी पुत्री की छाती पर लगी। उसने बचाओ–बचाओ का रोला मचाया, तो मुलजिमान अपना मोटरसाईकिल छोड़कर वहां से भाग गये, जाते–जाते धमकी देकर गये कि आईंदा पूरे परिवार को गोली से उड़ा देंगे। मुलजिमान के कृत्य से वह व उसका पूरा परिवार भयभीत है...आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में प्राथमिकी सं0 818/2024 दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त हनुमान प्रसाद के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया, जहां से प्रकरण उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

2. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त रामकुमार के विरूद्ध 332, 109 (1), 78 (2)352, 64 (1) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 व 27 आर्म्स एक्ट के आरोप सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. आरोप विरचना के पश्चात् अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए–

पी.ड.	नाम गवाह	किस बाबत
1	रज्जो देवी	चश्मदर्शी
2	पीड़िता	स्वयं के साथ वाका होने
3	देवीलाल	घटना के बाबत
4	जयपाल उर्फ जयलाल	घटना के तुरन्त बाद
5	लालचन्द	घटना के तुरन्त बाद
6	सोनू उर्फ चन्द्रकला	चश्मदर्शी
7	सुरेन्द्र कुमार	घटना के बाबत
8	दीपक	होटल में पीड़िता व अभियुक्त के आने
9	मेघराज	केरियर
10	केदारमल	केरियर
11	दलवीर सिंह	आरमोर्र
12	वीर सिंह	अनुसंधान
13	रणवीर सिंह	अनुसंधान
14	गंगाविशन	पिस्तौल खरीदने के स्थान
15	प्रदीप	केरियर
16	चन्द्रभान	मोटरसाईकिल मालिक
17	मनीष कुमार	गिरफ्तारी व घटनास्थल की तस्दीक
18	डॉ0 विनित गौतम	पीड़िता की चोटों व अभियुक्त के पुरूषत्व परीक्षण

19	प्रदीप सिंह	पिस्तौल बरामदगी
20	डॉ0 शिप्रा शर्मा	पीड़िता के बलात्कार संबंधी मुआयना
21	मोनिका	अनुसंधान
22	गजेन्द्र शर्मा	अनुसंधान
23	डॉ0 कृष्ण कुमार शर्मा	पीड़िता का इलाजकर्ता डॉक्टर

4. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए–

प्रदर्श नंबर	दस्तावेज का नाम
1	लिखित रिपोर्ट
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	फर्द जप्ती एक स्वेटर लेडिज
4	नक्शा मौका घटनास्थल
4 ए	हालात मौका घटनास्थल
5	मेडिकल मुआयना रिपोर्ट पीड़िता
6	डीएनए एग्जामिनेशन हेतु पहचान फार्म
7	बयान पीड़िता धारा 183 बीएनएसएस
8	फर्द जप्ती मोटरसाईकिल
9	नक्शा मौका घटनास्थल
9 ए	हालात मौका घटनास्थल
10	पुलिस बयान लालचन्द
11	फर्द तस्दीक घटनास्थल गोली चलाने बाबत
12	मेट्रो होटल का रजिस्टर
13	नक्शा मौका तस्दीक स्थल बलात्संग बाबत
13 ए	हालात मौका तस्दीक स्थल बलात्संग बाबत
14	अग्रेषण पत्र हेतु तहरीर
15	अग्रेषण पत्र
16	प्राप्ति रसीद
17	रपट रोजनामचा रवानगी
18	रपट रोजनामचा आमदगी
19	पिस्तौल व कारतूस के मुआयना हेतु तहरीर
20	आरमोर्र रिपोर्ट
21	रपट रवानगी रोजनामचा
22	रपट आमदगी रोजनामचा

23	चिट नमूना सील
24 से 28	चिट दस्तखती
29 ए से 31 ए	नकल मालखाना रजिस्टर
32	मेडिकल मुआयना पीड़िता हेतु तहरीर
33	पीड़िता की बेडहेड टिकट लेने हेतु तहरीर
34	पीड़िता की चोटों बाबत राय
35	पीड़िता के बयान हेतु न्यायालय में प्रस्तुत तहरीर
36	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम हनुमान प्रसाद
37	फर्द तस्दीक घटनास्थल बलात्संग बनिशानदेही मुलजिम हनुमान
38	फर्द निरीक्षण व जप्ती एक देशी कट्टा (पिस्तौल)
39	फर्द खाका पिस्तौल
40	फर्द जप्तीस्थल अवैध देशी कट्टा (पिस्तौल)
40 ए	हालात मौका जप्तीस्थल
41	रपट रवानगी रोजनामचा
42	रपट आमदगी रोजनामचा
43	रपट रवानगी रोजनामचा
44	रपट आमदगी रोजनामचा
45 ए व 46	चिट दस्तखती
47	फर्द इत्तिला स्थल खरीदने पिस्तौल
48	फर्द नक्शा मौका स्थल खरीदने पिस्तौल
48 ए	हालात मौका स्थल खरीदने पिस्तौल
49	रपट रवानगी रोजनामचा
50	रपट आमदगी रोजनामचा
51	अग्रेषण पत्र हेतु तहरीर
52	अग्रेषण पत्र
53	प्राप्ति रसीद
54	रपट रवानगी रोजनामचा
55	रपट आमदगी रोजनामचा
56	आर.सी. मोटरसाईकिल
57	फार्म 24 मोटर व्हीकल रजिस्टर
58	मोटरसाईकिल का बिल
59	पुलिस बयान चन्द्रभान
59	चोट प्रतिवेदन पीड़िता

60	मेडिकल मुआयना रिपोर्ट पीड़िता
61	एस.एस.एल. जांच हेतु तहरीर
62	डीएनए जांच हेतु मुलजिम की सहमति
63	फर्द इत्तिला मुलजिम
64	फर्द इत्तिला मुलजिम
65	फर्द इत्तिला मुलजिम
66	फर्द इत्तिला मुलजिम
67	मुलजिम के सैक्स सक्षमता परीक्षण हेतु तहरीर
68	पीड़िता के मेडिकल मुआयना हेतु तहरीर
69	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
70	मुलजिम को दस्तयाब करने हेतु तहरीर
71	सूचना नोटिस गिरफ्तारी
72	चिट नमूना सील
73 से 75	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
76	अभियोजन स्वीकृति
77	अभियोजन स्वीकृति अग्रेषित करने का पत्र
78	पीड़िता के इलाज के दस्तावेज
79	पीड़िता का डिस्चार्ज टिकट

5. अभियुक्त हनुमान प्रसाद के बयान अन्तर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लिये गये। अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया। अभियुक्त का कहना है कि उसकी पीड़िता के साथ अच्छी जानकारी, दोस्ती व प्रेम संबंध है। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी है। वे सहमति से आपस में घूमते फिरते थे। उनका रिश्ता तुड़वाने के लिए उसके परिवार वालों ने बनावटी कहानी बनाकर उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। वह निर्दोष है। प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा ।

6. प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए–

प्रदर्श डी नंबर	दस्तावेज का नाम
1	पुलिस बयान रज्जो देवी
2	पुलिस बयान पीड़िता
3	पुलिस बयान जयलाल

7. उभय पक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः असक्षम रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा औपचारिक गवाहान से भिन्न सात गवाहान प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें एक पीड़िता, दो उसके माता–पिता व दो भाई–भाभी तथा दो पड़ौसी है, जिनकी पीड़िता के परिवार से अच्छी बनती है। केवल एक होटल व्यवसायी पी.ड. 8 दीपक स्वतंत्र गवाह के तौर पर पेश किया गया है। शेष अन्य गवाहान तफतीशी कार्यवाही के पुलिस मुलाजमान या डॉक्टर है। अभियोजन गवाहान स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि पीड़िता और अभियुक्त के मध्य पहले से जानकारी थी और एक दूसरे के घर आना जाना था। वास्तव में उनके मध्य प्रेम प्रसंग था, इसी कारण पूर्व में पीड़िता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई और कोई विरोध नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में धारा 78 (2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के संबंध में पीछा करना और गाली गलौच करने की कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी, अभियुक्त द्वारा ऐसा क्यों किया जाता। पीड़िता 26 वर्ष की बालिग पढ़ी लिखी लड़की है, उसने घटना से पूर्व कभी भी कोई शिकायत अभियुक्त के ऐसे आचरण के संदर्भ में नहीं की, उस पर दवाब बनाकर उसे रोकने के संबंध में कोई अश्लील फोटो या इलैक्ट्रोनिक दस्तावेज अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है, जिनके आधार पर पीड़िता पर दवाब बनाया गया हो। जहां तक बलात्कार के आरोप का प्रश्न है, पीड़िता ने अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर होटल में जाना, होटल से मोटरसाईकिल पर घर जाना बताया है। कोई शिकायत नहीं की और ना ही विरोध किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी और पुलिस बयानों में भी बलात्कार होना जाहिर नहीं किया गया। पश्चातवर्ती तौर पर तितम्बा बयान लिये बिना ही पुलिस द्वारा बलात्कार का आरोप गलत तौर पर जोड़ा गया है, जबकि तथ्य अपने आप बोलते हैं कि आपसी सहमति का मामला था। मेडिकल रिपोर्ट में भी कोई जोर जबरदस्ती से बलात्कार करने की ताईद नहीं होती है। गवाह पी.ड. 8 दीपक का कथन है कि बेसमेंट में गये ही नहीं। होटल में कोई गलत काम नहीं हुआ। जहां तक आपराधिक अतिचार का प्रश्न है, गवाहान ने अपने बयानों में कहा है कि हनुमान का पहले से ही उनके घर आना जाना था। वह पीड़िता से मिलने ही आता था, उसके भाई सुरेन्द्र के साथ ना कभी घुमने गए और ना ही पिक्चर देखने गये और ना ही कभी ताश खेलने गये तो वह पीड़िता के भाई का दोस्त कैसे हो सकता है। वास्तव में सदस्यों की मौजूदगी में जाता था। समस्त कहानी झूठी बनाई गई है। मौका से मोटरसाईकिल के टायर के निशान या अभियुक्त के पदचाप नहीं लिये गये। मोटरसाईकिल अभियुक्त के नाम पर नहीं है, वह जिस व्यक्ति चन्द्रभान

पी.ड. 16 के नाम पर है, उसने अपने बयानों में कहा है कि उसने कभी भी मोटरसाईकिल नहीं दी और ना ही उसे बेचान की। मौका से कारतूस की बरामदगी के संबंध में भी अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में विरोधाभास है। कारतूस बरामदगी का कोई स्वतंत्र मौतबिर गवाह नहीं रखा गया है। डॉक्टर द्वारा अपने बयानों में पीड़िता के द्वारा पहना गया कुर्ता जला हुआ नहीं होना बताया गया है, जबकि स्वेटर पहनी नहीं होना बताया गया है, जबकि स्वेटर को जांच के लिए भेजा गया है। कुर्ता को जांच के लिए नहीं भेजा गया है। समस्त जांच की कार्यवाही सन्देहास्पद है। गोली चलाने का स्थान नहीं दर्शाया गया है। गोली चलने के बारे में गवाहान के बयान आपस में विरोधाभासी है। कोई कमरे के बाहर तो कोई खेत में तो घर के पीछे गोली चलना कहता है। घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी भी स्थापित नहीं की गई है। अभियुक्त से संबंधित कुछ भी मौका से बरामद नहीं हुआ है। हथियार की बरामदगी जिस स्थान से की गई है, वह खुला स्थान है, जहां कोई भी व्यक्ति आकर पिस्तौल रख सकता है। कार्यवाही का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा गया है। बरामदगीस्थल वाला खेत किसका है, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। बरामदगी से पूर्व सरकारी वाहन और पुलिस मुलाजमान की कोई तलाशी किसी से नहीं दिलवाई गई। जो पिस्तौल का खाका बनाया गया है, उसके और पिस्तौल के साईज में अंतर है, जो पिस्तौल की झूठी बरामदगी को दर्शाता है, जिस व्यक्ति से पिस्तौल खरीद करना बताया है, उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाना कहा गया है। पिस्तौल खरीद बेचने की कार्यवाही शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास दुकान में किया जाना कहा है, जो विश्वसनीय नहीं है। बेचानकर्ता को दौराने अनुसंधान गिरफ्तार नहीं किया गया है। पश्चातवर्ती तौर पर उसकी मृत्यु होना कहा है, जिसका कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। डॉक्टर के बयानों के अनुसार चोट छाती पर रगड़क के निशान के रूप में है, जो किसी भी खुरदरे फर्श पर रगड़क लगने की से आने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। चोट गंभीर एवं जानलेवा नहीं थी। डॉक्टर का कहना है कि वह हथियार के बारे में नहीं बता सकता। कोई एक्स–रे नहीं हुआ है और ना ही कोई फ्रेक्चर पाया गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट में गनशॉट इंजरी होने का अंकन नहीं है। पीड़िता गनशॉट के बावजूद होश में थी, स्थिर व नार्मल थी। शरीर पर कालेपन के कोई निशान नहीं थे। फायर आर्म के एण्ट्री वुंड व एक्जिट वुंड नहीं थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने की श्रृंखला साक्ष्य भी संदिग्ध है। रिपोर्ट में फायर का समय निश्चित नहीं है। एक जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जबकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए दोनों कारतूस खाली थे। ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर फायर आर्म से फायर कर हत्या के प्रयास का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। वास्तविक स्थिति यह है कि पीड़िता और अभियुक्त के मध्य दोस्ती और प्रेम संबंध

थे। एक दूसरे के घर आना जाना था। पीड़िता सहमति से होटल व अन्य जगह पर आती जाती थी। जिन दोस्ती व संबंधों को तुड़वाने के लिए परिवारजन ने झूठी कहानी बनाकर यह मुकदमा दायर किया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाए।

9. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक का मेरे समक्ष तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा सुदृढ़ साक्ष्य से आरोपित अपराध प्रमाणित किए गए हैं। पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और पड़ौसियों का शपथ पर बयान है कि अभियुक्त ने पीड़िता के घर जो कि खेत में बना हुआ है, हथियार के साथ प्रवेश किया। पीड़िता की माता व भाभी की मौजूदगी में पीड़िता पर फायर आर्म से फायर किया। रौला होने पर पड़ौसी भागकर आने की स्थिति को देखते हुए अपना मोटरसाईकिल वहीं छोड़कर भाग गया और उसकी जेब से एक जिंदा कारतूस व खाली कारतूस मौका पर गिर गया, जो पुलिस द्वारा मौका से बरामद किया गया है। पीड़िता की मेडिकल जांच से यह तथ्य उजागर हुआ है कि पीड़िता गर्भवती है। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पीड़िता के परिवारजन द्वारा दर्ज करवाई गई थी, उस वक्त पीड़िता कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, उसके पुलिस बयानों में भी पीड़िता द्वारा अभियुक्त के दवाब व घबराहट के कारण अपने साथ बलात्कार के तथ्य के बयान नहीं किये गये। पश्चातवर्ती तौर पर मेडिकल रिपोर्ट और परिवारजन के आश्वासन पर पीड़िता द्वारा अपने साथ बलात्कार होने के तथ्य को उजागर किया गया, जिस पर बलात्कार के अपराध का आरोप जोड़ा गया, यह परिस्थिति पूर्णतः स्वाभाविक है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। पीड़िता को अभियुक्त द्वारा होटल में लेकर जाना और उसके साथ दवाब में बलात्कार किया जाना भी पीड़िता के शपथ पर दिए गए बयानों से प्रमाणित है, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से होती है। पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों व पड़ौसियों के बयानों को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता है कि वे हितबद्ध है। पीड़िता के घर पर आने जाने से अभियुक्त को यह अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता है कि वह पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने के उद्देश्य से हथियार लेकर उसके घर पर गया है और पीड़िता पर फायर आर्म से फायर कर उसकी हत्या का प्रयास किया। गवाहान असल है, उनके बयानों में अलग–अलग स्थान पर कार्यवाही करते समय अभियुक्त को फायर करते हुए देखा गया, जिसके कारण उनके द्वारा अपने–अपने नजरिये से घटनास्थल को बयान किया है। इसके आधार पर घटनास्थल परिवर्तित नहीं होता है। घटनास्थल पर घर के अलावा सामने खेत है। किसी व्यक्ति द्वारा घर के सामने कहा जा सकता है और किसी व्यक्ति द्वारा खेत में लगी फसल के हिसाब से खेत के सामने कहा जा सकता है। घटनास्थल का कोई स्वतंत्र दर्शी साक्षी पड़ौसियों के अलावा नहीं होने पर पड़ौसी

जो फायर की आवाज सुनकर भागकर आया, उन्हें गवाह रखा गया है। उन्होंने अभियुक्त द्वारा फायर किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है, जो मोटरसाईकिल मौका पर पाया गया है, वह अभियुक्त के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी, बल्कि अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसे गवाह के तौर पर परीक्षित करवाया गया है, वह पक्षद्रोही घोषित हुआ है, परन्तु उसके द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को आज तक थाना से छुड़वाया नहीं गया है। यदि उसके द्वारा अभियुक्त को मोटरसाईकिल बेचान की हुई नहीं थी तो मोटरसाईकिल उसके स्वयं द्वारा छुड़वाई जाती। केवल मात्र गवाह का पक्षद्रोही घोषित होना अभियुक्त को अपराध में लिप्तता से नहीं बचाता है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर पीड़िता के शरीर पर आये घाव से उठाये गये सैम्पल के गॉज में फायर आर्म के अवशेष अवश्य पाए गए हैं। पीड़िता द्वारा कुर्ता पर जो स्वेटर पहनी हुई थी। उक्त स्वेटर भी जांच हेतु भेजी गई, जिसमें भी फायर आर्म के कण पाए गए हैं और जली हुई पाई गई है। डॉक्टर द्वारा उसके नीचे पहने हुए कुर्ता पर फायर आर्म का निशान इसलिए नहीं पाया गया, क्योंकि उस स्थान पर कुर्ता नहीं केवल स्वेटर थी इसलिए पुलिस द्वारा कुर्ता को जप्त भी नहीं किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचाने वाले घटनाक्रम के सभी गवाहान सुदृढ़ बयान देते हैं। अभियुक्त के कब्जा से पिस्तौल उसके छुपाये हुए स्थान से बरामद की गई है। यह आवश्यक नहीं है कि पिस्तौल को छुपाने के लिए गड्ढा खोदकर ही दबाया जाए या उसके स्वयं के ही खेत में ही दबाया जाए, जिस स्थान पर हथियार छुपाया गया था, उस स्थान का ज्ञान अभियुक्त को होना ही अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त है। अभियुक्त की तरफ से पीड़िता को आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है और ना ही मुलजिम ने अपने बयान धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा कोई कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन गवाहान के बयानों पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट व मेडिकल साक्ष्य से पीड़िता के कथनों का समर्थन होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध करार दिया जाए।

10. मैंने उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली व उस पर आई समस्त साक्ष्य का अध्ययन व विवेचन किया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर निम्न आरोप हैं :–

1. "क्या अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने दिनांक 23.12.2024 को सायं 05.30 पी.एम. पर अथवा उसके लगभग वाके चक 13 एम.डी. भूनावाली ढ़ाणी में स्थित परिवादिया रज्जो देवी के मकान, जो कि मानव निवास के उपयोग में आता है, में आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध, परिवादिया की पुत्री पीड़िता की छाती पर पिस्तौल से फायर कर उपहति कारित करने

के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार/गृह भेदन कर पीड़िता की हत्या करने के आशय से उस पर पिस्तौल से फायर किया, जो उसकी छाती पर लगा, यदि उक्त फायर से पीड़िता की मृत्यु हो जाती, तो अभियुक्त हनुमान प्रसाद पीड़िता के हत्या के अपराध का दोषी होता। इस प्रकार अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने पीड़िता की हत्या करने का प्रयास किया?"

2. "क्या अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अथवा उसके लगभग परिवादिया की पुत्री पीड़िता को मोबाईल पर फोन करके, पीड़िता का मोबाईल हैक करके इलैक्ट्रिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मानीटर कर उसका पीछा किया तथा पीड़िता को शांति भंग करने हेतु प्रकोपित करने के आशय से फौस गालियां निकालकर अपमानित किया?"

3. "क्या अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने दिनांक 23.12.2024 से करीब एक साल पूर्व किसी समय व स्थान पर पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, सम्मति के बिना, जबरदस्ती लैंगिक मैथुन कर बलात्कार किया?"

4. "क्या अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने दिनांक 23.12.2024 को सायं 05.30 पी.एम. पर अथवा उसके लगभग वाके चक 13 एम.डी. भूनावाली ढ़ाणी में स्थित परिवादिया रज्जो देवी के मकान में अपराध कारित करने हेतु एक देशी कट्टा (पिस्तौल) अपने कब्जा में रखा, जिसे अनुसंधान के दौरान दिनांक 10.01.2025 को 03.00 पी.एम. पर अथवा उसके लगभग चक 12 एम.डी. रोही भूनावाली ढ़ाणी में स्थित स्वयं के ठेका काश्त पर लिये हुए खेत में खड़े नीम के पेड़ के पास पड़े कचरा के नीचे खड्डा खोदकर एक देशी कट्टा (पिस्तौल) पुलिस को बरामद करवाया, जिसका अभियुक्त हनुमान प्रसाद के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था तथा अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने उपरोक्त घटना के दौरान देशी कट्टा (पिस्तौल) का उपयोग किया?"

11. उपरोक्त आरोपों के संबंध में पत्रावली का अध्ययन एवं विवेचन करने से पाया जाता है कि पी.ड. 2 पीड़िता ने शपथ पर बयान किया है कि हनुमान उसके भाई सुरेन्द्र का दोस्त है। उसने एमए बीएड कर रखी है। हनुमान काफी समय से उसका पीछा करता था और उसे करीब एक–डेढ़ साल से परेशान करता था। करीब एक–डेढ़ साल पहले उसने उसका फोन हेक किया था। एक दिन हनुमान उसे मिला और कहा कि उसकी मम्मी बीमार है और उसे साथ लेकर जंक्शन होटल में लेकर आ गया और होटल में जाकर हनुमान ने उसके साथ

बलात्कार किया और उसकी विडियो बना ली और उसे धमकाया कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो जान से मार देगा। दिनांक 31.12.2024 को हनुमान ने वो विडियो फेसबुक पर वायरल कर दिया। दिनांक 23.12.2024 को शाम को साढ़े पांच–छह बजे के करीब हनुमान उनके घर आया उस समय उसके पापा और भाई घर पर नहीं थे। उसकी माताजी और भाभी घर पर थी, वो दोनों अपना घरेलू काम कर रही थी और वह पढ़ रही थी। उसने उसके घर आकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उसने शोर मचाया तो उसकी माताजी और उसकी भाभी आई, भाभी को पानी लेने भेज दिया, और उसकी मम्मी को कोहनी मारकर गिरा दिया और हनुमान ने उसकी छाती पर जान से मारने के लिये गोली मार दी, जिससे उसकी स्वेटर कमीज जल गई और उसकी छाती पर निशान हो गया। उसने कहा कि वह उसे पढाई नहीं करने देगा। घटना की सूचना उसकी माता ने थाना में देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। दौराने अनुसंधान पुलिस ने उसका स्वेटर जब्त किया था, जो फर्द जब्ती प्रदर्शपी–3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने होटल का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–4 उसकी निशानदेही से तैयार किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना बलात्कार बाबत करवाया था, जो प्रदर्शपी–5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसका पहचान फार्म डीएनए जांच हेतु प्रदर्शपी–6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए थे, जो प्रदर्शपी–7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसने एम.ए.–बी.एड. किया हुआ है और अब वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। यह तैयारी वह गांव मुंडा में लाईब्रेरी में कर रही है। उसे नहीं पता कि लाईब्रेरी सुबह कितने बजे खुलती है, वह तो लाईब्रेरी दस बजे अपनी स्कूटी से जाती है। उसे लाईब्रेरी पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। लाईब्रेरी में उसके अलावा करीबन 30 विद्यार्थी हैं। उसने इस घटना से पहले इन 30 विद्यार्थियों को, आने–जाने वाले लोगों को यह नहीं बताया कि हनुमान उसका पीछा करता है, क्योंकि हनुमान ने उसे धमकी दे रखी थी। माॅ को भी उसने इसलिए नहीं बताया, क्योंकि उसने धमकी दे रखी थी। पुलिस बयान प्रदर्शडी–2 में उसने पुलिस को उसके साथ संबंध बनाने होटल में ले जाने विडियो बनाने और फेसबुक पर डालने की सारी बात बता दी थी। पुलिस बयान में क्यों नहीं लिखी उसे नहीं पता। जिस होटल में उसे लेकर गया था, उसका नाम उसे याद नहीं है। उसे हनुमान घर से मोटरसाईकिल पर लेकर गया था। घर से होटल तक पहुंचने में करीब 50 मिनट लगे थे। होटल हनुमानगढ़ जंक्शन का ही है। होटल में काउंटर से पेड़ियां उतरकर कमरे में गये थे। उस कमरे में एक बेड था और कुछ नहीं था। कमरे में और कोई फर्नीचर नहीं था। हनुमान ने अपने कपड़े स्वयं खोले थे। उसने शूट

पहन रखा था, उसका शूट भी हनुमान ने ही खोला था, जो कि धीरे–धीरे उतारे थे। उसने अपना शूट वहीं पर रख दिया था। हनुमान ने उसे बेड पर लिटा दिया, वह स्वयं नहीं लेटी। हनुमान उसके ऊपर था। उस वक्त उसके हाथ साईड में थे और पैर सीधे थे। यह सही है कि सेक्स संबंध बनाने के बाद उसने कपड़े पहन लिये थे, जो पांच मिनट बाद पहने थे। कमरे से बाहर होटल के काउंटर तक हनुमान उसके आगे थे और फिर वे होटल के बाहर आ गये। उसने काउंटर पर होटल के रजिस्टर पर कोई साईन नहीं किये थे। यह घटना उसके घर आकर गोली मारने की घटना से एक महीने पहले की है। यह सही है कि गोली मारने की घटना 12 वें महीने दिसम्बर की है, तो बलात्कार की घटना नवम्बर, 2024 की है। इससे पहले वह कभी होटल में नहीं गई थी। होटल से वह हनुमान के साथ ही घर गई थी, वही उसे घर छोड़कर आया था, वे रास्ते में कहीं नहीं रूके। हनुमान ने उसे धमकी दे रखी थी इसलिए उसने यह बात होटल मालिक को, रास्ते में आने–जाने वाले किसी व्यक्ति को व अपने घर पर किसी को नहीं बताई। यह सही है कि उसके प्रदर्शपी–7 बयान दिनांक 03.01.2025 को हुए थे। यह सही है कि उसके पुलिस बयान के बाद उसने कोर्ट में जो बयान दिये थे, वो करीबन नौ दिन बाद दिये थे। घटना के दिन हनुमान उसके कमरा में आ गया था। यह सही है कि वह अपने कमरे से निकलकर मटर–लहसुन की फसल के पास आ गये थे। वहां एक टयूबवैल भी बना हुआ है। उस वक्त उसकी भाभी सोनू उर्फ चन्द्रकला व उसकी माता रज्जो देवी उसके पास ही थे। उसने स्वेटर पहन रखी थी, स्वेटर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहन रखा था। स्वेटर के नीचे कुर्ता पहन रखा था। उसके भाई का दोस्त होने के कारण उसके घर पर करीबन डेढ़ साल से आना–जाना था। यह कहना गलत है कि हनुमान से उसका अफेयर हो। यह कहना भी गलत है कि बनावटी कहानी बनाकर उन्होंने हनुमान को झूठे मुकदमा में फंसाया हो।

12. पी.ड. 1 रज्जो देवी ने शपथ पर बयान किया है कि उसकी पुत्री पीड़िता बी.एड. की तैयारी कर रही थी। हनुमान उसकी पुत्री का पीछा करता था और उसकी पुत्री को कहता था कि उससे दोस्ती कर लो। उसकी बेटी जब भी कोचिंग जाती, तो हनुमान पीछे से गंदी–गंदी बातें बोलता था। दिनांक 23.12.2024 को शाम को करीब साढ़े पांच बजे उसकी पुत्री पीड़िता और उसकी पुत्रवधू सोनू दोनों घर में अकेली थी, तो हनुमान मोटरसाईकिल पर आया, उसके हाथ में नाजायज पिस्तौल थी और जबरदस्ती उसके घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ गाली–गलौच करने व जबरदस्ती करने लगा। उसने रोका तो हनुमान ने उसकी पुत्री पर पिस्तौल से फायर कर दिया, जो उसकी पुत्री पीड़िता के छाती पर लगा। उन्होंने शोर मचाया, तो मुलजिम हनुमान मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गया। फिर उन्होंने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पीड़िता ने उसे बताया कि हनुमान ने पीड़िता के

साथ कई बार डरा–धमका कर गलत काम किया है। यह भी बताया कि हनुमान उसे किसी अन्य लड़के से बात करने बाबत मना करता है। इस कारण हनुमान ने उसकी पुत्री पीड़िता के गोली मारी। उसने घटना बाबत लिखित दरख्वास्त प्रदर्शपी–1 थाना में दी थी, जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर प्रदर्शपी–2 दर्ज हुई थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान पुलिस ने पीड़िता की एक स्वेटर लेडिज जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्शपी–3 तैयार कर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने घटनास्थल होटल जहां बलात्कार किया था, का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–4 तैयार कर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस ने उसकी बेटी का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया था, जो प्रदर्शपी–5 है, जिस पर गवाह के रूप में उसके ए से बी हस्ताक्षर है। उसकी बेटी की जांच बाबत पहचान फार्म प्रदर्शपी–6 तैयार किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी पुत्री पीड़िता को जान से मारने की नीयत से हनुमान ने गोली मारी थी। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि हनुमान को वह और उनका परिवार साल–डेढ़ साल से जानते हैं। यह सही है कि हनुमान का उनके घर में आना–जाना था। उसने पीछा करने की शिकायत इस घटना से पहले नहीं की। उसकी पुत्री ने इस घटना से पहले उसे पीछा करने की बात नहीं बताई। यह कहना गलत है कि उन्होंने उस रोज हनुमान को फोन करके बुलाया हो। यह कहना गलत है कि उन्होंने हनुमान के साथ मारपीट की हो, जिससे उसके कान व पैरों पर चोट आई हो। उस समय उसकी बेटी लाईब्रेरी पढ़ने गई हुई थी। उसकी बेटी लाईब्रेरी में शाम पांच बजे तक पढ़ती है। प्रदर्शडी–1 बयान में उसकी बच्ची के साथ गाली–गलौच करने की बात क्यों नहीं लिखी है, उसे पता नहीं, उसने तो बता दी थी। प्रदर्शडी–1 में यह बात भी पुलिस ने क्यों नहीं लिखी है कि उसकी पुत्री ने बताया कि हनुमान उसके साथ गलत काम करता था, उसे नहीं पता, उसने तो लिखा दिया था। उसने मुलजिम को गोली मारते हुए देखा था। वह पास में ही पशुओं के पास थी। उसने नजदीक से ही देखा था और गोली चलाते समय ही वह नजदीक ही था। यह कहना गलत है कि हनुमान और पीड़िता आपस में शादी करना चाहते हो। यह कहना गलत है कि पीड़िता का लम्बे समय से प्रेम संबंध चल रहा हो। यह कहना गलत है कि वे हनुमान से पीड़िता की शादी नहीं करवाना चाहते थे और प्रेम संबंध तोड़ना चाहते थे, इस कारण यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया हो।

13. पी.ड. 6 सोनू उर्फ चन्द्रकला ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.12.2024 को वह अपनी ढ़ाणी में थी। ढ़ाणी में उसके साथ उसकी सास रज्जो देवी और नन्द पीड़िता थी। शाम करीब छः बजे हनुमान पुत्र सुभाष मोटरसाईकिल लेकर उनकी ढाणी में आया और उसकी सास और नणद से बात करने लगा। हनुमान ने उसकी सास को कहा कि

पीड़िता हमेशा घर से बाहर उसके साथ जाती है, आज ये बैंक उसके बिना कैसे चली गई। हनुमान जोर–जोर से बोल रहा था। थोड़ी देर बाद हनुमान जोर–जोर से बोलता हुआ कमरे से बाहर आया और पीछे–पीछे उसकी सास व नन्द भी आ गई। तब हनुमान ने अपने पास से पिस्टल निकालकर उसकी नन्द पीड़िता की छाती में जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, जिससे उसकी नणद बेहोश होकर गिर गई। हनुमानराम वहां से गांव की तरफ भाग गया। हनुमानराम उनकी ढ़ाणी में एक खाली कारतूस, एक भरा कारतूस व एक मोटरसाईकिल छोड़ गया। शोर सुनकर मौका पर उनके खेत पड़ौसी वगैरह आ गये, जिन्होंने गांव से गाड़ी मंगवाकर इलाज के लिये पीड़िता को सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ टाऊन ले गए। हनुमान पीड़िता पर बुरी नजर रखता था। जब पीड़िता पढ़ने या किसी काम से बाहर जाती थी, तो हनुमान उसका पीछा भी करता था। पुलिस ने उनकी ढ़ाणी से मुलजिम का मोटरसाईकिल व एम जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस बरामद कर फर्द प्रदर्शपी–8 तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि हनुमान पहले कभी उनके घर नहीं आया, बस घटना के रोज ही आया था। हनुमान ने आकर उसकी सास रज्ञो देवी व नन्द पीड़िता के साथ उनकी ढ़ाणी के एक कमरे में करीब 10–15 मिनट बात की। वह उस वक्त रसोई में थी, रोटी–सब्जी बना रही थी। रसोई कमरे के पास ही है। फिर वहां झगड़ा और हनुमान ने गोली चला दी और गोली चलाने के बाद कमरे से भाग गया। हनुमान गांव की तरफ भाग गया। वह ढ़ाणी से किस रास्ते की तरफ भागा था, वह नहीं बता सकती। उसकी सास रज्ञो देवी, उसकी नन्द पीड़िता को सरकारी अस्पताल ले गई थी। पुलिस वाले उनकी ढ़ाणी में घटना के दूसरे दिन आये थे। यह सही है कि देवीलाल, रज्ञो देवी, वह, पीड़िता आपसी रिश्तेदार है। वे एक ही परिवार के हैं। जयपाल उनके समाज का है। उनके परिवार की आपस में अच्छी बनती है व जयपाल के साथ भी उनकी अच्छी बनती है। उसे पीड़िता ने उसके साथ पीछा करने वाली बात व गलत काम करने वाली बात घटना से पहले कभी नहीं बताई, घटना के बाद बताई थी। उसको घटना के बाद भी बलात्कार व पीछा करने वाली बात नहीं बताई, उसकी सास को बताई थी। यह कहना गलत है कि उनके परिवार द्वारा एक बनावटी कहानी बनाकर हनुमान पर झूठा मुकदमा किया हो।

14. पी.ड. 3 देवीलाल ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.12.2024 को वह जीतपुरा गया हुआ था। उसे उसके ताया के बेटे हनुमान ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी पीड़िता के हनुमान पुत्र सुभाष ने गोली मार दी है। फिर वह अपनी ढ़ाणी आ गया था। तब उसे पता लगा कि हनुमान मोटरसाईकिल लेकर ढ़ाणी में शाम छः बजे आया था। हनुमान पुत्र

सुभाष ने मेरी बेटी पीड़िता को गालियां निकाली और गोली मार दी और भाग गया। मौका पर उसकी पत्नी रज्ञो देवी और उसकी पुत्रवधू चन्द्रकला उर्फ सोनू थी। उन्होंने शोर मचाया तो जयपाल और लालचंद आ गये थे, जो बेहोश पड़ी पीड़िता को सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ टाऊन ले गये। हनुमान पुत्र सुभाष भागते समय अपनी मोटरसाईकिल और खाली कारतूस और एक भरा हुआ कारतूस मौके पर छोड़ गया। हनुमान पुत्र सुभाष ने उसकी बेटी पीड़िता के साथ पहले होटल में ले जाकर गलत काम किया था, जिसकी रंजिशवश हनुमान ने उसकी पुत्री पीड़िता को गोली मार दी थी। पुलिस ने मोटरसाईकिल, खाली कारतूस और एक भरा कारतूस बरामद किया था, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्शपी-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने बरामदगीस्थल का नक्शा-मौका प्रदर्शपी-9 तैयार कर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि पीड़िता उसकी बेटी, रज्ञो देवी उसकी पत्नी, सुरेन्द्र उसका बेटा व चन्द्रकला उर्फ सोनू उसकी पुत्रवधू है। जयपाल और लालचंद उसके खेत पड़ौसी है और उनके साथ उनकी अच्छी बनती है। यह सही है कि उसने कोई घटना होते हुए नहीं देखी। हनुमान का उसके घर में करीबन डेढ़ साल से आना-जाना था अज खुद कहा कि वो उसके लड़के का दोस्त था। हनुमान और उसका लड़का कभी साथ में घूमने नहीं गये, कभी वो साथ में फिल्म देखने नहीं गये और हनुमान और सुरेन्द्र आपस में कभी कोई खेल भी नहीं खेलते थे। यह कहना गलत है कि हनुमान उसके बेटे का दोस्त ना हो। यह सही है कि टयूबवैल के आगे उनके द्वारा मटर और लहसुन की खेती की हुई है। पुलिस सुबह आठ बजे आ गई थी। उस वक्त वह और उसकी पुत्रवधू दोनों ही घर पर थे। उसके कमरे की बाहर की तरफ से पुलिस ने कारतूस बरामद किये थे। पुलिस वालों ने उसके दो जगह हस्ताक्षर करवाये थे।

15. पी.ड. 7 सुरेन्द्र कुमार ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.12.2024 को उसकी माता रज्ञो देवी ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में इस आशय का दिया था कि हनुमान प्रसाद ने उसकी बहन पीड़िता पर गोली चलाई थी। जिसका मुकदमा दर्ज करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी-1 दिया था, जिस पर ए से बी उसकी माता के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी-1 के आधार पर दर्ज एफआईआर प्रदर्शपी-2 है जिस पर ए से बी उसकी माता के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मुलजिम हनुमान प्रसाद की निशानदेही से गोली चलाने वाले स्थान की तस्दीक करवाई थी, जिसकी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी-11 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी प्रमोद कुमार के हस्ताक्षर हैं। हनुमान उसकी बहन पीड़िता को एक-डेढ़ साल से परेशान करता था, जब वह लाईब्रेरी जाती, तो उसका पीछा करता था और फोन पर गालियां निकालता था और

मारने की धमकी देता था, जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर हनुमान ने पीड़िता पर गोली चलाई। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि घटना वाले दिन वह अपने घर ढ़ाणी में नहीं था और ना ही उसने हनुमान को देखा था। उसकी माता को हनुमान ने धक्का दिया था। मटर–लहसुन की खेती के पास उसकी माता को धक्का दिया गया था। जहां पर वह गोली लगना बता रहा है। इस घटना से पूर्व उसकी बहिन ने हनुमान द्वारा उसका पीछा करना और उसे गाली देना और उससे छेड़छाड़ करना और कोई गलत काम करना उसे नहीं बताया अज खुद कहा कि हो सकता है कि उसने डर के कारण नहीं बताया हो। यह सही है कि हनुमान करीबन दो साल से उनके घर आ रहा है अज खुद कहा कि उसकी उसके साथ मित्रता थी। यह कहना गलत है कि पीड़िता और हनुमान आपस में शादी करना चाहते हों। यह कहना भी गलत है कि इस कारण उन्होंने बनावटी कहानी बनाकर हनुमान को झूठा फंसाया हो।

16. पी.ड. 4 जयपाल उर्फ जयलाल ने शपथ पर बयान किया है कि उसका खेत देवीलाल की ढ़ाणी के पास ही है। दिनांक 23.12.2024 को हनुमान देवीलाल की ढ़ाणी में मोटरसाईकिल लेकर आया। हनुमान देवीलाल की ढ़ाणी में पहले भी आता–जाता रहता था। हनुमान की देवीलाल के लड़के सुरेन्द्र के साथ दोस्ती थी। उस दिन शाम को करीब साढे पांच–छः बजे हनुमान देवीलाल की ढ़ाणी में आया था। थोड़ी देर बाद देवीलाल की ढ़ाणी में फायर की आवाज सुनी। फिर वह, लालचंद और दो–तीन अन्य दोड़कर देवीलाल की ढ़ाणी में गये। उन्होंने देखा कि हनुमान पुत्र सुभाष के हाथ में पिस्तौल था, जो उन्हें देखकर भाग गया। देवीलाल की लड़की ढाणी में जमीन पर गिरी हुई थी। मौके पर देवीलाल की पत्नी भी थी। फिर उन्होंने गाड़ी बुलाकर देवीलाल की लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया। पीड़िता की छाती के बांयीं तरफ जले हुए का निशान था। मौका पर हनुमान पुत्र सुभाष खुद का मोटरसाईकिल व दो कारतूस छोड़कर भाग गया था। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि देवीलाल की ढ़ाणी से उसका खेत चार बीघा दूर है। खेत में उनकी पानी की बारी थी, वे पानी लगा रहे थे। देवीलाल की ढ़ाणी में वे चिल्लाने की आवाज व फायर की आवाज सुनकर गये थे, उन्होंने जाकर देखा कि पीड़िता कमरे के बाहर जमीन पर गिरी पड़ी थी। ढ़ाणी के मेन गेट से करीबन 50 फुट दूर पीड़िता पड़ी थी और हनुमान वहां से भाग गया। उन्होंने भागने वाले की पीठ नहीं देखी। यह सही है कि उस वक्त उसने हनुमान को नहीं देखा था।

17. पी.ड. 5 लालचंद ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.12.2024 को वह अपनी ढ़ाणी में था और खाना खा रहा था। हनुमान को वह जानता है। हनुमान देवीलाल की ढ़ाणी में आता–जाता रहता था। उस दिन उसने एक धमाके की आवाज सुनी, जो पटाखे

के जोरदार धमाके जैसी थी। फिर शोर मचा, तो वह और जयपाल देवीलाल की ढ़ाणी की तरफ गया। देवीलाल की ढ़ाणी में पीड़िता जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी स्वेटर जली हुई थी। उसके खून आ रहा था। फिर उसको कमरे में ले गये। वहां और भी लोग आ गये थे। गांव की गाड़ी बुलाकर उसे अस्पताल ले गये। उसने उस वक्त हनुमान को नहीं देखा। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षण करने पर इस गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्शपी–10 का हिस्सा ए से बी "हनुमानराम––––आ रहा था।", सुनकर कहा कि उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

18. पी.ड. 8 दीपक ने शपथ पर बयान किया है कि वह मेट्रो पीज्ञा के नाम से बस स्टेण्ड हनुमानगढ़ जंक्शन के पास रेस्टोरेण्ट चलाता हूं। दिनांक 11.10.2024 को उसके होटल पर हनुमान प्रसाद व पीड़िता खाने–पीने व आराम करने आये थे, जो दोपहर साढ़े ग्यारह बजे आये थे और डेढ़ बजे वापिस चले गये थे। उसके होटल में आने वालों का पंजीयन रजिस्टर में किया जाता है, जो प्रदर्शपी–12 है, जिस पर ए से बी हनुमान प्रसाद व पीड़िता का नाम–पता, मोबाईल नंबर व आने–जाने का समय और हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर अंकित है। उसके द्वारा हनुमान प्रसाद व पीड़िता की आई.डी. ली गई थी, जिसकी प्रति वह पेश कर रहा है। पुलिस ने उसके होटल का नक्शा–मौका बनाया था, जो प्रदर्शपी–13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम को वी.सी से गवाह को दिखाया गया और गवाह ने मुलजिम को हनुमान के रूप में पहचाना और बताया कि यही आदमी लड़की के साथ उसके होटल में आया था। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि जब हनुमान व पीड़िता उसके पास उसके होटल में दो घण्टे रूके थे, वे सीधे केबिन में बैठे थे। केबिन में करीबन डेढ़ घण्टा रूके थे। उससे खाने–पीने के लिये पिज्ञा व कॉफी मंगवाया था। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों खुश थे। वे दोनों उसके पास खाने–पीने व रेस्ट करने हेतु आये थे। जिसका इन्द्राज उसने प्रदर्शपी–12 में किया था। उन दोनों में आपस में कोई गलत गतिविधियां नहीं की और ना ही कोई गलत काम किया और ना ही पीड़िता ने जाते समय उससे कोई शिकायत की कि उसके साथ कोई गलत काम हुआ है। वह दोनों अपने किसी साधन से नहीं आये थे। वह किसी बेसमेंट में नहीं गये। वे दोनों उसकी नजर में थे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया।

19. पी.ड. 18 डॉ0 विनित गौतम ने शपथ पर बयान किया है कि वह दिनांक 24.12.2024 को राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाऊन में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन की तहरीर पर उसने भर्तीशुदा पीड़िता के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर 1. छाती पर ऊपरी तरफ बांयें भाग पर मध्य रेखा के करीब 4 सेमी गुणा 3 सेमी की खरोंच

थी व घाव के चारों तरफ बहुत सारे छोटे–छोटे लाल रंग के लीजन(निशान) थे, चोट थी। मजरूबा ने पीच रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जो बांयीं तरफ से फटा हुआ था व काला पड़ा हुआ था। चोट संख्या 1 सामान्य प्रकृति की थी व हथियार की प्रकृति एफएसएल की रिपोर्ट हेतु सुरक्षित रखी गई थी। घाव से सेलाईन गोज पट्टी रगड़कर कांच की शीशी में सील बंद कर गन पाऊडर की जांच हेतु भेजा गया। एक अन्य शीशी में सील बंद कर गोज पट्टी का कन्ट्रोल सेम्पल भेजा गया। चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्शपी–59 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूबा के पहचान चिह्न व ई से एफ चोट की अवधि अंकित है जो कि 24 घण्टे के भीतर की है। उसने दिनांक 08.01.2025 को हनुमान प्रसाद पुत्र सुभाष का सेक्स सक्षमता बाबत मेडिकल मुआयना किया था जो प्रदर्शपी–60 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी मुलजिम के पहचान चिह्न है व ई से एफ उसकी राय है। उसकी राय के अनुसार जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जिससे यह कहा जा सके कि मुलजिम संभोग करने में सक्षम ना हो। प्रदर्शपी–60 में एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। मुलजिम हनुमान प्रसाद की डीएनए की जांच हेतु एफएसएल को जारी किया गया अग्रेषण–पत्र प्रदर्शपी–61 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। मुलजिम हनुमान प्रसाद का डीएनए आईडेंटिफिकेशन फार्म प्रदर्शपी–62 है, जिस पर ए से बी उसके दो जगह हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि चोट नंबर 1 ऊपरी सतह की चोट है। यह चोट किस तरह के हथियार से कारित थी, वह इस बारे में निश्चित नहीं बता सकता। यह सही है कि चोट संख्या 1 किसी खुरदरी सतह से रगड़ खाने से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि पीड़िता की छाती पर ब्लेकनिंग नहीं थी। उसके द्वारा जब प्रदर्शपी–59 तैयार की जा रही थी, तब पीड़िता के स्वेटर नहीं पहना हुआ था। यह सही है कि उसके द्वारा पीड़िता के शरीर से कोई छर्रे बरामद नहीं किए गए। यह सही है कि पीड़िता की बॉडी पर कोई छर्रे नहीं थे। यह सही है कि उसके द्वारा रिपोर्ट में गनशॉट का अंकन नहीं किया गया। यह सही है कि यह चोट फायर आर्म की थी या नहीं, वह इस बारे में निश्चित नहीं था। यह सही है कि चोट नंबर 1 सामान्य प्रकृति की थी, गंभीर या जानलेवा नहीं थी।

20. पी.ड. 20 डॉ0 शिप्रा शर्मा ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 06.01.2025 को वह राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाऊन में एसएमओ के पद पर कार्यरत थी। उस रोज उसके द्वारा पीड़ीता का बलात्कार बाबत मेडिकल मुआयना किया गया था, जो प्रदर्शपी–5 है जिस पर पीड़िता की सहमति ली गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये, जो

प्रदर्शपी–5 पर सी से डी है एवं पीड़िता की माता के हस्ताक्षर ए से बी हैं। बलात्कार की घटना पुरानी होने के कारण किसी प्रकार के कोई सेम्पल नहीं लिये गये थे। मेडिकल मुआयने के दौरान पीड़िता के शरीर पर किसी प्रकार की कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पायी गई। प्रेग्नेंसी टेस्ट पोजीटिव होने के कारण पीड़िता को स्त्री विशेषज्ञ को रेफर कर दिया गया। प्रदर्शपी–5 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह चिकित्सालय की मोहर है। पीड़िता का डीएनए एग्जामिनेशन बाबत पहचान फार्म प्रदर्शपी–6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर तीन जगह चिकित्सालय की मोहर है। पीड़िता का एफटीए कार्ड लिया गया था, जिसे पैक करके अनुसंधान अधिकारी को भेज दिया गया था। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि पीड़िता के शरीर पर व प्राईवेट पार्ट पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता को जलाने की, पीटने की, किक मारने की, चुटकी खींचने, बाल खींचने की, सिर खींचने की, घसीटने की कोई हिंसात्मक निशान उसके शरीर पर नहीं पाए गए। उसके द्वारा जोर जबरदस्ती बलात्कार करने बाबत जांच की गई थी। पीड़िता के शरीर पर हिंसात्मक निशान नहीं थे।

21. पी.ड. 23 डॉ0 कृष्ण कुमार शर्मा ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.12.2024 को वह जिला अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञ जनरल सर्जरी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पीड़िता ट्रोमा सेन्टर में कार्यरत चिकित्सक द्वारा भर्ती की गई, जिसका उसके द्वारा उपचार किया गया। ट्रोमा सेन्टर के डॉक्टर के अनुसार पीड़िता के छाती पर रगड़क का निशान था, जो पीड़िता ने डॉक्टर को बताया था कि जो गोली लगने से आया था। उसे ईलाज के दौरान पीड़िता ने बताया था कि गोली लगने से चोट लगी है। बैड हैड टिकट प्रदर्शपी–78 है, जिस पर ए से बी ट्रोमा सेन्टर के डॉक्टर रतनलाल सुथार के द्वारा किया गया ईलाज व इंद्राज है तथा सी से डी उसके द्वारा किया गया इंद्राज व ईलाज है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी–78 की प्रति प्रदर्शपी–78ए है। पीड़िता की डिस्चार्ज समरी प्रदर्शपी–79 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि प्रदर्शपी–78 में चोट की प्रकृति सिम्पल है, जो खुरदरे फर्श पर रगड़ लगने के कारण आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि उसके द्वारा प्रदर्शपी–78 में गंभीर या जानलेवा चोट का वर्णन नहीं किया गया। उसके द्वारा पेश की गई बेड हेड टिकट में पीड़िता के शरीर में छर्रे मिलने का इन्द्राज नहीं किया गया। पीड़िता को किसी भी प्रकार के ऑप्रेशन की सलाह नहीं दी गई। यह सही है कि इलाज के दौरान पीड़िता गंभीर अवस्था में नहीं थी।

22. पी.ड. 13 रणवीर सिंह ने शपथ पर बयान किया है कि वह दिनांक 23.12.2024 को एस.आई. के पद पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में तैनात था। उस रोज थानाधिकारी महोदय ने मुकदमा नंबर 818/2024 का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया था। उसने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–मौका व हालात–मौका तैयार किया जो प्रदर्शपी–9 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्शपी–9 का हालात–मौका प्रदर्श पी–9ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर एक मोटरसाईकिल स्पलेंडर, एक जिंदा कारतूस व एक खाली खोखा को जरिये फर्द जब्त किया जो प्रदर्शपी–8 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह उसकी सील मोहर है। पीड़िता अस्पताल में जैर इलाज भर्ती थी, जिसको दौराने अनुसंधान महिला एसआई रचना देवी की मौजूदगी में विडियोग्राफी कर बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये। घटना के समय पीड़िता के पहनी हुई स्वेटर को जरिये फर्द जब्त किया जो प्रदर्शपी–3 है, जिस पर ए से बी पीड़िता के, सी से डी रज्ञो देवी के हस्ताक्षर है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह उसकी नमूना सील का अंकन है। परिवादिया रज्ञो देवी व श्रीमती सोनू उर्फ चन्द्रकला, जयलाल, लालचंद, देवीलाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। पीड़िता का चोटों संबंधी मेडिकल मुआयना करवाने की तहरीर प्रदर्शपी–32 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पीड़िता का चोटों संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया व बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया। पीड़िता की बैड हैड टिकट लेने बाबत एमजे साहब राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ को दी गई तहरीर प्रदर्शपी–33 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बैड हैड टिकट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। पीड़िता के लगी चोटों पर विशेषज्ञ की राय बाबत एमजे राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ को लिखी गई तहरीर प्रदर्शपी–34 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, मूल पर डॉ. विनित गौतम द्वारा दी गई राय सी से डी है एवं ई से एफ डॉ. विनित गौतम के हस्ताक्षर मय सील है। पीड़िता की निशानदेही से पीड़िता के साथ आरोपी हनुमान द्वारा बलात्कार संबंधी होटल पर घटना का निरीक्षण कर नक्शा–मौका व हालात–मौका तैयार किया गया। नक्शा–मौका प्रदर्शपी–4 है जिस पर ए से बी रज्ञो देवी, सी से डी पीड़िता, ई से एफ महिला कांस्टेबल के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। हालात–मौका प्रदर्शपी–4ए हैं, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय को पीड़िता के 183 बीएनएसएस के बयान करवाने बाबत समन जारी करवाने हेतु दी गई तहरीर प्रदर्शपी–35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पीड़िता के न्यायालय में धारा 183 बीएनएसएस में बयान दर्ज करवाकर नकल प्राप्त की और शामिल पत्रावली की गई।

अब तक के अनुसंधान से धारा 64(1) एड होने पर उक्त प्रकरण में वह अनुसंधान करने में सक्षम नहीं होने के कारण उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी महोदय मोनिका बिश्नोई को सुपुर्द किया। थानाधिकारी ने दौराने अनुसंधान उसको आरोपी को दस्तयाब कर पेश करने की हिदायत की गई, जिस पर उसने आरोपी हनुमान को दस्तयाब कर थानाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जिस पर मोनिका बिश्नोई थानाधिकारी ने मुलजिम हनुमान प्रसाद को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जो प्रदर्शपी–36 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान आई.ओ. ने मुलजिम हनुमान प्रसाद की निशानदेही से घटनास्थल की तस्दीक बलात्कार करने के स्थान बाबत तैयार की, जो प्रदर्शपी–37 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम हनुमान प्रसाद से एक अवैध देशी कट्टा पिस्तौल अनुसंधान अधिकारी ने जब्त किया, जिसकी फर्द प्रदर्शपी–38 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। जब्तशुदा पिस्तौल व खाका प्रदर्शपी–39 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पिस्तौल जब्तीस्थल का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–40 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी दिनांक 10.01.2025 को थाना से रवानगी प्रदर्शपी–41 है व आमद प्रदर्शपी–42 है। उसकी घटनास्थल जाने की रवानगी प्रदर्शपी–43 है व आमद प्रदर्शपी–44 है। मुकदमा के वजह सबूत न्यायालय के समक्ष सील व सुरक्षित हालत में प्रस्तुत हुआ, जिसे न्यायालय की आज्ञा से खोला गया। एक कपड़े की थैली मार्क बी, जो आर्टिकल 2 है, जिस पर एक चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–45 चस्पा है, जिस पर ए से बी पीड़िता, सी से डी रज्ञो देवी के, ई से एफ उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील अंकित है। सील्डशुदा कपड़े की थैली आर्टिकल 2 को खोलने पर उसमें से एक चिट दस्तख्ती निकली, जो प्रदर्शपी–45 की प्रति है, जो प्रदर्शपी–45ए है। थैली में से एक लेडिज स्वेटर निकली, जिस पर आरएफएसएल बीकानेर बेलेस्टिक डिवीजन की चिट लगी है, जिस पर एफआईआर नंबर 818 दिनांक 23.12.2024 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन अंकित है, जो प्रदर्शपी–46 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्शपी–1 में बलात्कार होने का कथन नहीं किया गया है। प्रदर्शपी–1 में उस विशिष्ट स्थान का वर्णन नहीं किया गया है, जहां फायर होना बताया गया है। परिवादिया की ढ़ाण में जो चार कमरे बने हुए हैं, वह आम कमरों की तरह है। करीबन 12 गुणा 12 के हैं। बरामदे की लम्बाई–चौड़ाई लगभग 15–20 फुट है। दौराने तफ्तीश उसके समक्ष यह बात गई थी कि पीड़िता, उसकी माता रज्ञो देवी और भाभी सोनू उर्फ चन्द्रकला कमरे से बात करते–करते मटर–लहसुन की खेती के पास चले गये थे, जहां पर पीड़िता, उसकी माता रज्ञो देवी व भाभी सोनू उर्फ चन्द्रकला ने उसे बताया था कि इस स्थान पर फायर हुआ था। उसकी भाभी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वह घर की

तरफ आ गई थी और मॉ को कोहनी मारकर गिरा दिया गया था। यह सही है कि फायर की या गिरने की कोई चोट मॉ को नहीं लगी। प्रदर्शपी–4 बनाते वक्त मैट्रो पिज्ञा कैफे के मालिक या नौकर ने उसे घटना के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया कि पीड़िता के साथ वरवक्त कोई गलत काम हुआ हो। प्रदर्शपी–3 में उसके द्वारा जली हुई स्वेटर जब्त करना बताया गया है। पीड़िता का कोई और पहनने वाला कपड़ा जैसे कि बनियान (ब्रा), कमीज व सलवार जला हुआ नहीं था इसलिए उसने और कोई जब्ती नहीं की। जो स्वेटर जली हुई है, वह जली हुई का माप नहीं बता सकता। यह अनुसंधान अधिकारी है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा अनुसंधान किये जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

23. पी.ड. 21 मोनिका ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 04.01.2025 को प्रकरण की पत्रावली श्री रणवीर उ.नि. से आगामी अनुसंधान हेतु उसको प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान मुलजिम हनुमान पुत्र सुभाष को उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्शपी–36 गिरफ्तार किया गया, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम हनुमान द्वारा उसे धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला दी गई थी कि ''उसने पीड़िता के उसकी ढाणी चक 13 एमडी भुनावाली ढाणी में जिस स्थान पर जान से मारने के लिये पिस्तौल से गोली मारी थी, वह स्थान आपके साथ मैं चलकर बता सकता हूं'' प्रदर्शपी–63 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। उसी रोज मुलजिम हनुमान द्वारा उसे धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला दी गई थी कि ''उसने पीड़िता के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन के जिस होटल में गलत काम किया था वह स्थान आपके साथ चलकर बता सकता हूं'' जो प्रदर्शपी–64 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मुलजिम हनुमान के हस्ताक्षर हैं। उसी रोज मुलजिम हनुमान द्वारा उसे धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला दी गई थी कि ''मैंने एक देसी पिस्तौल मेरे खेत रोही भुनावाली ढाणी में छुपा रखा है वह पिस्तौल मैं आपके साथ चलकर बरामद करवा सकता हूं'' जो प्रदर्शपी–65 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मुलजिम हनुमान के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी–63 की सूचना पर मुलजिम की निशानदेही से गोली चलाने के स्थान की तस्दीक घटनास्थल तैयार की गई जो प्रदर्शपी–11 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी–64 की सूचना के आधार पर फर्द तस्दीक घटनास्थल बलात्कार करने के स्थान बाबत प्रदर्शपी–37 तैयार की गई, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम हनुमान प्रसाद के, जी से एच होटल मालिक के तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा–मौका तस्दीक इत्तिलास्थल बलात्कार करने

का स्थान प्रदर्शपी–13 है, जिस पर ए से बी दीपक होटल मालिक के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच मुलजिम हनुमान के तथा आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी–13 का हालात–मौका प्रदर्शपी–13 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी–65 की सूचना के आधार पर मुलजिम की निशानदेही से एक देशी कट्टा जब्त कर फर्द निरीक्षण व जब्ती तैयार की गई जो प्रदर्शपी–38 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, इ से एफ मुलजिम हनुमान के, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर तीन जगह थाना की सील मोहर है। पिस्तौल जब्ती स्थल का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–40 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। बरामदशुदा अवैध देसी कट्टा का खाका प्रदर्शपी–39 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी–40 का हालात–मौका प्रदर्शपी–40 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12.01.2025 को मुलजिम हनुमान ने धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि ''मैंने शेरगढ़ थाना हनुमानगढ़ टाउन के पास जिस स्थान व जिस आदमी से पिस्तौल व कारतूस खरीद किया था उस आदमी व स्थान की तस्दीक आपके साथ चलकर करवा सकता हूं'' जिसकी फर्द प्रदर्शपी–66 है, जिस पर ए से बी मुलजिम के तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम की इत्तिला पर फर्द तस्दीक इत्तिलास्थल पिस्तौल खरीदने के स्थान बाबत बनिशानदेही मुलजिम हनुमान प्रसाद तैयार की गई, जो प्रदर्शपी–47 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा–मौका पिस्तौल खरीदने का स्थान प्रदर्शपी–48 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुलजिम के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शपी–48 का हालात–मौका प्रदर्शपी–48 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा गवाहान रज्जो देवी, देवीलाल के तितम्बा बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से मुलजिम हनुमान प्रसाद के विरूद्ध जुर्म धारा 64(1), 333, 109(1), 352, 78(2) बीएनएस व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम हनुमान प्रसाद को जरिये फर्द प्रदर्शपी–36 गिरफ्तार किया, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ उसके तथा जी से एच मुलजिम हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मुलजिम का पुरूषत्व बाबत मेडिकल मुआयना करने की तहरीर एमओ साहब राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाऊन को दी गई, जो प्रदर्शपी–67 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी एमओ साहब के रिसिवड करने के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम का मेडिकल मुआयना करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। मुलजिम का डीएनए एग्जामिनेशन बाबत पहचान फार्म प्रदर्शपी–62 है, जिस पर सी से डी मुलजिम के तथा ई से

एफ उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पीड़ीता का बलात्संग व प्रेग्नेंसी बाबत मेडिकल करवाने की तहरीर मेडिकल ज्यूरिष्ठ राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाऊन को दी गई, जो प्रदर्शपी–68 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। पीड़िता के मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मुलजिम की इत्तिला एवं निशानदेही से उसके कब्जा काश्त खेत से पिस्तौल बरामद किया था, जिसकी इत्तिला तस्दीक के संबंध में बरामदगी की कार्यवाही करते समय कार्यवाही की विडियो मोबाईल फोन से बनाई गई थी, जिसकी विडियो पेनड्राईव में डालकर शामिल पत्रावली की गई। पेनड्राईव में डाली विडियो जैसी मोबाईल में थी, वैसी ही पेनड्राईव में ली गई थी, उसके द्वारा कोई कांट–छांट नहीं की गई, जिसका 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रदर्शपी–69 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अग्रेषण–पत्र जारी करने की तहरीर प्रदर्शपी–14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। आरमोर्र को लिखा गया बरामदशुदा पिस्तौल का मुआयने बाबत पत्र प्रदर्शपी–19 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम को दस्तयाब करने बाबत रणवीर उ.नि. को निर्देशित किया गया था, जिसका पत्र प्रदर्शपी–70 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद गिरफ्तारी मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता सुभाषचन्द्र को दी गई थी जो प्रदर्शपी–71 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर सुभाष चन्द्र की अंगूठा निशानी है, सुभाषचन्द्र के कहे अनुसार मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना मुलजिम के भाई प्रहलाद को दी गई थी, जिसके हस्ताक्षर प्रदर्शपी–71 पर सी से डी है। उसके द्वारा पीड़िता का करवाये गये, प्रेग्नेंसी टेस्ट की किट व पिस्तौल जब्ती की कार्यवाही की विडियोग्राफी संबंधी पेनड्राईव शामिल पत्रावली किये गये। चिट दस्तख्ती नमूना सील सील्ड पैकेट मार्क ए बाबत प्रदर्शपी–72 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी दिनांक 10.01.2025 को घटनास्थल होटल जाने बाबत थाना से रवानगी प्रदर्शपी–41 व आमद प्रदर्शपी–42 है। उसी रोज भुनावाली ढाणी जाने बाबत रवानगी प्रदर्शपी–43 व आमद प्रदर्शपी–44 है। उसकी दिनांक 13.01.2025 को थाना से रवानगी प्रदर्शपी–49 व आमद प्रदर्शपी–50 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि इन किसी भी बयानों में यह बात नहीं आई कि पीड़िता ने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो। घटना के करीबन बारह दिन बाद बलात्कार वाली बात पीड़िता के माता–पिता के बयानों में आई थी। उसके द्वारा पीड़िता के तितम्बा बयान नहीं लिये गये। होटल मालिक से कोई अनुसंधान कर कोई बयान नहीं लिये गये, क्योंकि उसके द्वारा अनुसंधान पूर्ण नहीं किया जा सका था। यह सही है कि दीपक अरोड़ा को आरोप पत्र में बतौर गवाह रखा है। प्रदर्शपी–40 बाउण्ड्री नुमा नहीं है, खुला स्थान है। यह सही है कि हर व्यक्ति

यहां आ जा सकता है। यह सही है कि प्रदर्शपी–40 के आसपास खेत है, जो रणजीत कुमार, पप्पूराम आदि के खेत है। यह सही है कि प्रदर्शपी–40 की कार्यवाही में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं रखा गया। प्रदर्शपी–40 वाला बरामदगीस्थल खाला है जो दो खेतों के बीच में है, जिसमें एक खेत रणजीत के नाम पर व दूसरा मुलजिम की कब्जा काश्त में होना पाया था। उसने हनुमान के कब्जा काश्त में खेत होने बाबत भी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। यह अनुसंधान अधिकारी है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा किये गये अनुसंधान के तथ्य को प्रमाणित किया है।

24. पी.ड. 22 गजेन्द्र शर्मा ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 13.02.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में पुलिस उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस रोज उसे मुकदमा नंबर 818/24 की पत्रावली अग्रिम तप्तीश हेतु प्राप्त हुई थी। उसने दौराने अनुसंधान गवाह केदारमल कांस्टेबल, मेघराज कांस्टेबल, प्रदीप कुमार कांस्टेबल, वीर सिंह हैड कांस्टेबल व चन्द्रभान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। अनुसंधान से मुलजिम हनुमान प्रसाद पुत्र सुभाष निवासी वार्ड नंबर 10, भुनावाली ढाणी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन के विरूद्ध जुर्मधारा 64(1), 333, 109(1), 78(2), 352 बीएनएस व धारा 3/25, 27 आर्म्स एक्ट में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर सक्षम अधिकारी से चालान पेश करने बाबत निर्देश प्राप्त कर माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की। प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी–73, 74, 75 व अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शपी–76 है तथा अभियोजन स्वीकृति का कवरिंग लेटर प्रदर्शपी–77 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि इस गवाह के प्रति परीक्षण में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। यह अनुसंधान अधिकारी है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा किये गये अनुसंधान के तथ्य को प्रमाणित किया है।

25. पी.ड. 12 वीर सिंह ने शपथ पर बयान किया है कि वह दिनांक 24.12.2024 को थाना टाउन में मालखाना प्रभारी के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नंबर 818/2024 के अनुसंधान अधिकारी श्री रणवीर सिंह एसआई ने वजह सबूत सील्ड थैली में एक जिंदा 12 बोर कारतूस व एक खाली खोखा 12 बोर पैकेट मार्क ए व एक मोटरसाइकिल स्पेलंडर हीरो आरजे 31 एसएम 4031 उसे संभलाये थे, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 580/1407 पर दर्ज कर जमा मालखाना किया था, जो प्रदर्शपी–29 है जिस पर ए से बी उसके द्वारा किया गया इन्द्राज है। दिनांक 25.12.2024

को श्री रणवीर एसआई द्वारा प्रकरण का वजह सबूत सील्ड थैली में एक स्वेटर मार्क बी जमा हेतु उसे दी थी, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर जमा किया था, जिसका इंद्राज प्रदर्शपी–29 में सी से डी है, जिसके बाद प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण का वजह सबूत सील्ड बोतल छोटा जार मार्क ए व बी पीड़िता राजकीय चिकित्सालय टाउन के एमजे सील्ड उसे मालखाना में जमा करवाया। इसके बाद पीड़िता का ब्लड सैंपल एफटीए कार्ड एक लिफाफा में सील्डशुदा व मुलजिम हनुमान का ब्लड सैंपल एफटीए कार्ड लिफाफा में सील्डशुदा उसे संभलाये जो उसने मालखाना में जमा किये, जो प्रदर्शपी–30 है, जिस पर ए से बी उसके द्वारा किया गया इंद्राज है। इसके बाद प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मोनिका बिश्नोई पुलिस निरीक्षक द्वारा मुलजिम हनुमान प्रसाद की निशानदेही से जब्तशुदा पिस्तौल सील्ड मार्क एक्स दिनांक 10.01.2025 को उसे मालखाना में जमा करवाया गया जिसका इंद्राज क्रमांक 26/849 दिनांक 10.01.2025 द्वारा जमा किया गया, जिसका इंद्राज प्रदर्शपी–31 में किया था, जिस पर ए से बी उसके द्वारा किया गया इंद्राज है। दिनांक 23.01.2025 को उसके द्वारा श्री केदार कानि0 953 को प्रकरण में सील्ड पिस्तौल मार्क एक्स व सील्ड मार्क ए में जिंदा कारतूस 12 बोर व एक 12 बोर खाली खोखा मैकेनिकल मुआयना हेतु दिया गया था, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–31 में सी से डी है, केदारमल कानि0 के हस्ताक्षर ई से एफ है। बाद मुआयना उसी रोज श्री केदार कानि0 ने सील्ड पिस्तौल मार्क एक्स व सील्ड कारतूस मार्क ए आरमोर की सील से सील्डशुदा और आरमोर की रिपोर्ट के साथ उसे पेश की, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–31 में जी से एच कर ई से एफ केदारमल के हस्ताक्षर कराये थे। उसी रोज केदारमल कानि0 को मुकदमा का सील्डशुदा वजह सबूत मार्क ए का मेडिकल मुआयना हेतु दिया गया था। केदारमल ने सील्डशुदा वजह सबूत बाद मुआयना मय रिपोर्ट उसे लाकर दी थी जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–30 में सी से डी है। दिनांक 04.02.2025 को प्रकरण का सील्ड वजह सबूत पिस्तौल मार्क एक्स व सील्डशुदा पैकेट में जिंदा व खाली कारतूस मार्क ए मय कागजात के एफएसएल परीक्षण हेतु अग्रेषण पत्र जारी करवाने श्री मेघराज कानि0 1001 को दिया गया था, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–30 में ई से एफ है व दिनांक 07.02.2025 को मेघराज एफसी ने जमा की रसीद लाकर उसे दी थी जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–30 में जी से एच है, आई से जे मेघराज के हस्ताक्षर है। दिनांक 04.02.2025 को मेघराज कानि0 सील्ड थैली पिस्तौल मार्क एक्स एफएसएल परीक्षण हेतु एसपी कार्यालय व एफएसएल बीकानेर रवाना किया, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–31 में आई से जे कर मेघराज के हस्ताक्षर के से एल है। श्री मेघराज द्वारा दिनांक 07.02.2025 को एफएसएल बीकानेर में सील्ड वजह सबूत मार्क एक्स व मार्क ए जमा की रसीद पेश की थी,

जिसका उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज आई से जे किया था, के से एल मेघराज के हस्ताक्षर है। श्री मेघराज कानि0 वजह सबूत दिया जाना व वापस जमा के हस्ताक्षर करवाये थे। दिनांक 11.02.2025 को प्रकरण में सील्ड वजह सबूत बोतल (जार) ए व बी तथा आईओ द्वारा सील्ड स्वेटर मार्क बी अग्रेषण पत्र जारी करवाने श्री प्रदीप कानि0 1296 को दिया गया था, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–30 में के से एल किया था, एम से एन प्रदीप कानि0 के हस्ताक्षर कराये थे। श्री प्रदीप द्वारा दिनांक 13.02.2025 को एफएसएल बीकानेर से वापस आकर उक्त वजह सबूत की जमा की रसीद क्रमांक 127 दिनांक 12.02.2025 पेश की, जिसका उसने मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया था तथा प्रदीप कानि0 के हस्ताक्षर कराये थे, जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–30 में ओ से पी कर एम से एम प्रदीप कानि0 के हस्ताक्षर कराये थे। वजह सबूत जब तक उसके पास रहा सील्ड व सुरक्षित रहा। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि आर्टिकल ए व एक्स मालखाना में अलग–अलग तारीखों व अलग–अलग समय पर जमा हुए थे। यह सही है कि प्रदर्शपी–30 पर फ्लूड भी लगा हुआ है। प्रदर्शपी–30 पर जो इबारत लिखी गई है, उसकी स्याही में भी अन्तर है। आरमोर्र की जांच बाबत आर्टिकल ए एक माह बाद और आर्टिकल एक्स करीबन 12–13 दिन बाद मुआयना के लिये भेजा गया था। यह मालखाना इंचार्ज है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा वजह–सबूत को मालखाना में जमा करने, परीक्षण हेतु केरियर को देने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

26. पी.ड. 9 मेघराज ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 04.02.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज उसे मालखाना इंचार्ज ने मुकदमा नंबर 818/2024 का वजह सबूत मय तहरीर एसपी कार्यालय से एफएसएल हेतु पत्र प्राप्त कर एफएसएल में वजह–सबूत जमा कराने हेतु दिये। थानाधिकारी की तहरीर प्रदर्शपी–14 है। जिस पर उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर एफ.एस.एल. के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी–15 जारी करवाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फिर वह एफएसएल बीकानेर के लिये रवाना हुआ। एफएसएल बीकानेर पहुंचकर वजह–सबूत जमा करवा रसीद प्रदर्शपी–16 प्राप्त की। उसकी थाना से रवानगी प्रदर्शपी–17 है एवं आमद प्रदर्शपी–18 है। वजह–सबुत जब तक उसके पास रहा सील्ड व सुरक्षित हालत में रहा। इस गवाह के प्रति परीक्षण में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। यह केरियर गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह

किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा वजह–सबूत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

27. पी.ड. 10 केदारमल ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.01.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज उसने मुकदमा का वजह–सबूत मार्क ए व मार्क एक्स सील्ड पैकेट मय कागजात मालखाना प्रभारी से सील्ड हालत में प्राप्त कर मय कागजात जिला आरमोर्र कार्यालय पहुंचकर जिला आरमोर्र दलवीर सिंह को मुकदमा नंबर 818/24 के वजह–सबूत दोनों सील्ड पैकेट सुपुर्द कर दिये। दलवीर सिंह ने उसके सामने सील मोहर तोड़कर सील पिस्तौल व कारतूसों को बाहर निकाला व मैकेनिकल मुआयना कर दोनों वजह–सबूत को वापिस दोनों पैकेट में डालकर उसके सामने सील मोहर किया। मैकेनिकल मुआयना की रिपोर्ट तैयार कर डिस्पेच कर उसके हस्ताक्षर रिपोर्ट पर करवाये। उसने वापिस आकर मय रिपोर्ट वजह–सबूत दोनों पैकेट मालखाना इंचार्ज को जमा करवा दिये। वजह–सबूत जब तक उसके पास रहा सील्ड व सुरक्षित हालत में रहा। वह जो पत्र मैकेनिकल मुआयना हेतु थाना से लेकर रवाना हुआ वह प्रदर्शपी–19 है। उसे आरमोर्र ने जो रिपोर्ट तैयार करके दी, वह प्रदर्शपी–20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी थाना से रवानगी प्रदर्शपी–21 है व थाना में आमद प्रदर्शपी–22 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि जो आर्टिकल सील्ड किये गये थे, वह आई.ओ. की सील से सील्ड थे। उसके सामने आई.ओ. की सील चपड़ी को आरमोर्र ने तोड़ा था। जो सील चपड़ी वह तोड़ना बता रहा है, उसकी उसके समक्ष तोड़े जाते वक्त कोई जब्ती की फर्द नहीं बनायी गई। उसे आर्टिकल दिनांक 23.01.2025 को प्राप्त हुए थे, जो कि करीबन एक माह की देरी से हो तो वह नहीं बता सकता। यह केरियर गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा वजह–सबूत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

28. पी.ड. 15 प्रदीप ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 11.02.2025 को वह पुलिस थाना टाउन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज उसे मुकदमा नंबर 818/24 का वजह सबूत मय कागजात देकर एसपी कार्यालय हनुमानगढ़ व एफएसएल बीकानेर रवाना किया गया था। उसने एसपी कार्यालय जाकर मुकदमा हाजा का अग्रेषण–पत्र जारी करवाया व बीकानेर हेतु रवाना हुआ। बीकानेर एफएसएल जाकर वजह सबूत मय कागजात जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अग्रेषण–पत्र जारी करवाने की तहरीर प्रदर्शपी–51 है। अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी–52 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रसीद

प्रदर्शपी–53 है। उसकी थाना से रवानगी प्रदर्शपी–54 व आमद प्रदर्शपी–55 है। वजह सबूत जब तक उसके पास रहा सील्ड व सुरक्षित हालत में रहा। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि मुकदमा दिनांक 23.12.2024 का है और उसने आर्टिकल मालखाने से दिनांक 11.02.2025 को प्राप्त किया था। वह दिनांक 11.02.2025 को रवाना हुआ था और 12.02.2025 को एफएसएल ऑफिस समय में अव्वल वक्त पर जमा करवा दिये थे। यह कहना गलत है कि वजह सबूत सुरक्षित व सील्ड हालत में ना हो। यह केरियर गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा वजह–सबूत विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

29. पी.ड. 11 दलवीर सिंह ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 23.01.2025 को वह जिला आरमोर्र वर्कशोप पुलिस लाईन हनुमानगढ़ में पदस्थापित था। उस रोज पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन का कांस्टेबल केदारमल बेल्ट नंबर 953 आरमोर वर्कशोप में हाजिर आकर मुकदमा नंबर 818/24 से संबंधित कागजात मुआयना तहरीर मय वजह सबूत दो सील्ड पैकेट मार्क ए व मार्क एक्स लेकर उसके पास आया था। उसने थैली मार्क ए पर लगी सील आरएस की सील का मिलान कागजात पर लगी सील से किया। उसने मार्क ए पर लगी सील आरएस की सही व सुरक्षित हालत में थी। सील को उसने खोला तो सील के नीचे चिट दस्तख्ती निकली व थैली के अंदर एक अन्य चिट दस्तख्ती के साथ दो नग 12 बोर कारतूस एक चला हुआ कारतूस व एक जिंदा कारतूस निकला। कारतुसों का उसने निरिक्षण किया, दोनों कारतूस 12 बोर के कारतूस थे व दोनों की पैंदी पर 12 केएफ 12 स्पेशल अंकित था। दोनों कारतूस फायर एमुनेशन की श्रेणी में आते थे। बाद निरीक्षण कैरियर के समक्ष एक नग खाली कारतूस व एक जिंदा कारतूस को थैली मार्क ए के अंदर डालकर अपनी सील मोहर एआरएमआर–डीएस से सील किया। उसके बाद उसने थैली मार्क एक्स पर लगी सील को कागजात से मिलान किया। थैली मार्क एक्स पर पीएस एचएमटी की सील सही व सुरक्षित हालत में लगी हुई थी। थैली मार्क एक्स पर लगी सील को उसने खोला तो सील के नीचे एक चिट दस्तख्ती मिली व थैली के अंदर एक अन्य चिट दस्तख्ती के साथ एक देशी पिस्तौल बिना नंबरी 12 बोर निकला, जिसको उसने आरमोर्र टूल्स एवं गेजेज व डमी कारर्टिज से टेस्ट फायर कर चैक किया तो यह पिस्तौल फायर करने में सक्षम था, फायर के काबिल था व इसके एक्शन मैकेनिज्म के सभी पार्टस सही कार्य कर रहे थे। यह पिस्तौल फायर आर्म श्रेणी का हथियार था। बाद निरीक्षण पिस्तौल 12 बोर की बेरेल पर उसने अपना पहचान मार्का डीएस अंकित कर केरियर के समक्ष पिस्तौल 12 बोर को उसी

सफेद कपड़े की थैली मार्क एक्स में डालकर अपनी सील मोहर एआरएमआर–डीएस से सील कर केरियर को सील बंद थैली मार्क ए व मार्क एक्स व मुआयना रिपोर्ट, चिट नमूना सील देकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये। उसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी–20 है जिसमें सी से डी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर दो जगह उसकी नमूना सील अंकित है। उसकी चिट नमूना सील प्रदर्शपी–23 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी चिट नमूना सील व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। न्यायालय की अनुमति से वजह सबूत खोले गये। वजह सबुत मार्क ए को खोला गया जो जिसके अंदर निकले कारतूस आर्टिकल 1 व 2 है व चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–24 है व कार्बन प्रति 24ए है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर दो जगह उसकी नमूना सील अंकित है। वजह सबूत मार्क ए पर चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–25 है जिस पर एक्स स्थान पर आरएस की नमूना सील है। वजह सबूत मार्क एक्स खोला गया जिसके अंदर निकला पिस्तौल 12 बोर आर्टिकल 3 व चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–26 निकली जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्शपी–26ए है। प्रदर्शपी–26 के पिछले पृष्ठ पर चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–27 है जिस पर ए से बी मोनिका बिश्नोई के हस्ताक्षर एक्स स्थान पर तीन जगह पीएस एचएमटी की नमूना सील अंकित है। वजह सबूत पैकेट एक्स पर लगी चिट दस्तख्ती प्रदर्शपी–28 है जिस पर तीन जगह पीएस एचएमटी की नमूना सील अंकित है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि मार्क ए के अन्दर से निकले कारतूस को उसने फायर करके नहीं देखा था। केवल अनुभव के आधार पर बताया था कि यह फायर करने में सक्षम है। चला हुआ कारतूस किस अवधि में चला था, यह वह नहीं बता सकता व जिंदा कारतूस की अवधि क्या थी, यह भी वह नहीं बता सकता। पिस्तौल उसने डमी कारतूस से टेस्ट फायर कर चैक किया था। वजह सबूत को सही व पूर्ण जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा हुआ है। देशी पिस्तौल 12 बोर की कारगर रेंज 30 से 35 मीटर होती है। इससे अधिक कारगर नहीं होती। 10 से 15 मीटर बाद छर्रे फैलने लगते हैं, इससे कम दूरी पर नहीं फैलते। छर्रा लगने से कपड़ा जल सकता है। यह सही है कि छर्रे फैंकते हैं, तो फैलते हैं और यदि किसी व्यक्ति के छर्रे की चोट लगी है, तो आस–पास के लोगों के भी छर्रे की चोट लगने की संभावना रहती है। यह आरमोर्र गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा पिस्तौल व कारतूसों का मुआयना करने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

30. पी.ड. 14 गंगाविशन ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 13.01.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज अनुसंधान

अधिकारी मोनिका बिश्नोई ने मुकदमा नंबर 818/24 में मुलजिम हनुमान प्रसाद की निशानदेही से फर्द तस्दीक ईतलास्थल पिस्तौल खरीदने के स्थान बाबत प्रदर्शपी–47 तैयार किया था, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी प्रदीप कांस्टेबल के और ई से एफ मुलजिम हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर हैं। पिस्तौल खरीदने के स्थान का नक्शा–मौका प्रदर्शपी–48 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी प्रदीप कांस्टेबल के तथा ई से एफ मुलजिम हनुमान प्रसाद के हस्ताक्षर है। उसकी मोनिका बिश्नोई अनुसंधान अधिकारी के साथ घटनास्थल पर रवानगी प्रदर्शपी–49 है व आमद प्रदर्शपी–50 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि पिस्तौल खरीदने व बेचने की जांच उसके द्वारा नहीं की गई थी, ना ही उसने पिस्तौल खरीदते हुए व बेचते हुए किसी को देखा। प्रदर्शपी–47 व 48 उसके सामने अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब किए गए थे, तब उसने इन पर हस्ताक्षर किये थे। उस वक्त आसपास के स्वतंत्र लोग मौजूद थे, जिनसे उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की गई। पिस्तौल खरीदने व बेचने बाबत कोई दस्तावेज उसके सामने नहीं आये। यह अनुसंधान के दौरान तैयार किए गए दस्तावेज का गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा अनुसंधान के दौरान दस्तावेज तैयार किए जाने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

31. पी.ड. 16 चन्द्रभान ने शपथ पर बयान किया है कि उसने एक मोटरसाईकिल नया सप्लेण्डर प्लस 2016 में मां भगवती मोटर्स हनुमानगढ़ टाउन से खरीद किया था, जिसके नंबर आरजे–3–एसए–4031 थे। उसने उसका मोटरसाईकिल किसी को नहीं बेचा था। उसने मोटरसाईकिल फाईनेंस पर ली थी। उसकी मोटरसाईकिल की आरसी प्रदर्शपी–56 है। फार्म 24 मोटर व्हिकल रजिस्टर प्रदर्शपी–57 है। उसके द्वारा खरीद किये गये मोटरसाईकिल का बिल प्रदर्शपी–58 है। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इस गवाह ने विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षण करने पर कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्शपी–56, 57 व 58 में मोटरसाईकिल मालिक के रूप में उसका नाम दर्ज है। यह सही है कि मोटरसाईकिल हनुमान को बेचा नहीं था। उसका मोटरसाईकिल पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में खड़ा है। यह सही है कि उसका मोटरसाईकिल जिस मुकदमें में वह बयान देने आया है, उसी मुकदमें में जप्त है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति परीक्षण करने पर गवाह ने कथन किया है कि मोटरसाईकिल उससे थाने वालों ने मंगवाया था जो उसने थाने में पेश किया था।

32. पी.ड. 17 मनीष कुमार ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 07.01.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था।

उस रोज मोनिका बिश्नोई थानाधिकारी ने मुकदमा नंबर 818/24 के मुलजिम हनुमान प्रसाद को जरिये फर्द प्रदर्शपी–36 गिरफ्तार कर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। दिनांक 10.01.2025 को मुलजिम की निशानदेही से घटनास्थल बलात्कार करने का स्थान की तस्दीक कर तस्दीक घटनास्थल प्रदर्शपी–37 तैयार कर सी से डी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उस रोज नक्शा–मौका तस्दीक ईतला घटनास्थल बलात्कार करने के स्थान बाबत प्रदर्शपी–13 तैयार किया था, जिस पर सी से डी उसके, ई से एफ रणवीर सिंह उप निरिक्षक के हस्ताक्षर करवाये थे। उसकी थाना से रवानगी प्रदर्शपी–41 व आमद प्रदर्शपी–42 है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि उसने घटनास्थल पर पीड़िता को नहीं देखा। उसके द्वारा घटनास्थल पर कोई संघर्ष के निशान नहीं देखे गये। नक्शा मौका उसका कलमी नहीं है। यह अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटनास्थल की निशानदेही का गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व घटनास्थल की निशानदेही की फर्द तैयार करने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

33. पी.ड. 19 प्रदीप सिंह ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 10.01.2025 को वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाऊन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मोनिका बिश्नोई अनुसंधान अधिकारी ने मुकदमा नंबर 818/24 के मुलजिम हनुमान प्रसाद की निशानदेही से एक अवैध देशी कट्टा जब्त कर फर्द निरीक्षण व जब्ती एक देशी कट्टा पिस्तौल प्रदर्शपी–38 तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, जिसका फर्द खाका प्रदर्शपी–39 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा–मौका जब्तीस्थल प्रदर्शपी–40 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 13.01.2025 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मोनिका बिश्नोई ने फर्द तस्दीक इत्तिलास्थल पिस्तौल खरीदने के स्थान बाबत बनिशानदेही मुलजिम हनुमान प्रसाद प्रदर्शपी–47 तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा–मौका पिस्तौल खरीदने का स्थान प्रदर्शपी–48 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी दिनांक 10.01.2025 को थाना से रवानगी प्रदर्शपी–43 व आमद प्रदर्शपी–44 है। दिनांक 13.01.2025 को उसकी थाना से रवानगी प्रदर्शपी–49 व आमद प्रदर्शपी–50 है। इस गवाह के प्रति परीक्षण में कोई विशेष बात सामने नहीं आई है। यह अभियुक्त की निशानदेही से अवैध देशी कट्टा की बरामदगी व उससे संबंधित दस्तावेजात का गवाह है। इस गवाह के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके कारण उसके कथनों की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। इस गवाह ने अपने द्वारा अभियुक्त

की निशानदेही से अवैध देशी कट्टा की बरामदगी व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार करने के तथ्य को प्रमाणित किया है।

34. पी.ड. 24 कानाराम ने शपथ पर बयान किया है कि दिनांक 17.06.2025 को उसने जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पद पर कार्यरत रहते हुए मुकदमा नंबर 818/2024 की पत्रावली का अवलोकन कर उसने मुलजिम हनुमान प्रसाद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाए जाने पर विवेकपूर्वक मनन कर मस्तिष्क का प्रयोग कर अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शपी–76 जारी की, जिस पर एक्स स्थान पर उसके डिजीटल हस्ताक्षर है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसके सामने कारतूस व पिस्तौल प्रस्तुत किये गये थे। प्रस्तुत किये गये कारतूस व पिस्तौल के उसके खाके के अनुरूप होना ही पाया था। यह नहीं कह सकता कि मिलान नहीं खा रहे थे। यह कहना गलत है कि उसने केवल पुलिस रिपोर्ट पर यांत्रिक तरीके से अभियोजन स्वीकृति जारी की हो और पत्रावली का अवलोकन व मनन नहीं किया हो।

35. उपरोक्त समस्त साक्ष्य का अध्ययन एवं विवेचन करने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त हनुमान प्रसाद द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्वयं यह कथन किया है कि उसके मामले की पीड़िता के साथ उसकी अच्छी जानकारी, दोस्ती व प्रेम संबंध है। एक दूसरे के घर आना जाना है। पीड़िता पी.ड. 2 द्वारा इस आशय का सुझाव देने पर इस संबंध में यह कथन किया गया कि अभियुक्त का उसके भाई का दोस्त होने के कारण उनके घर आना–जाना था, जो करीब डेढ़ साल से आना–जाना था। इस सुझाव से इनकार किया गया कि उसका अभियुक्त के साथ अफेयर है। पीड़िता की माता पी.ड. 1 रज्जो देवी ने भी अपने प्रति परीक्षण बयानों में इस सुझाव से इनकार किया है कि पीड़िता और अभियुक्त के मध्य प्रेम–संबंधा हो। वह भी स्वीकार करती है कि वह और उसका परिवार डेढ़ साल से हनुमान को जानते हैं। अभियुक्त उसके बेटे का दोस्त होने के कारण उनके घर आता–जाता था। गवाह देवीलाल पी.ड. 1 पीड़िता के पिता ने भी अपने बेटे सुरेन्द्र का दोस्त होने के नाते अभियुक्त का उनके घर पर आना–जाना होना कहता है। पीड़िता का भाई सुरेन्द्र कुमार पी.ड. 7 भी अपने शपथ पर दिये गये बयानों में करीब डेढ़ साल से अभियुक्त की उसके साथ मित्रता होने के कारण घर पर आना–जाना होना कहता है। इसी प्रकार गवाह सोनू उर्फ चन्द्रकला पी.ड. 6 अपने बयानों में अभियुक्त हनुमान का पीड़िता पर बुरी नजर रखना और जब वह पढ़ने या किसी काम से बाहर जाती थी, तो उसका पीछा करना कहती है। इसे ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उसका पीड़िता के साथ कोई प्रेम–संबंध हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के सभी गवाहान जो पीड़िता व उसके परिवार के सदस्य

हैं, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त का घटना से करीब डेढ़ साल पहले से उनके घर पर आना–जाना था, परन्तु अभियुक्त के इस कथन से इनकार करते हैं कि पीड़िता और अभियुक्त के मध्य कोई प्रेम–संबंध हो और उनके संबंधों के चलते अभियुक्त पीड़िता के घर पर आता हो, बल्कि यह कथन किया गया कि पीड़िता के भाई सुरेन्द्र के साथ उसकी दोस्ती थी इसलिए अभियुक्त आता–जाता था। उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन गवाहान के बयान पूर्णतः सुदृढ़ हैं, जो दौराने प्रति परीक्षण विचलित नहीं होते हैं। अभियुक्त ने केवल बचाव में पीड़िता के साथ प्रेम संबंध होने के कारण उसके घर पर आने–जाने का कथन किया है, परन्तु उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यहां तक कि अभियुक्त ने स्वयं को भी साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया है। अभियुक्त की उम्र पत्रावली के अनुसार 28 वर्ष से अधिक है। गवाह सुरेन्द्र कुमार ने भी अपनी उम्र 30 वर्ष होना बताया है। पीड़िता चक 13 एम.डी. भुनावाली ढ़ाणी की निवासी है। अभियुक्त भुनावाली ढ़ाणी के वार्ड नम्बर 10 का निवासी है। अभियुक्त पीड़िता के साथ कभी पढ़ा हो या उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध उत्पन्न होने का कोई कारण हो, ऐसा पत्रावली पर नहीं है। अभियोजन गवाहान सभी सुदृढ़तापूर्वक कथन करते हैं कि पीड़िता के भाई के दोस्त के तौर पर वह उनके घर पर आता–जाता था। इसके विपरीत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

36. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मेरे समक्ष तर्क रहा है कि सुरेन्द्र और उसके परिवारजन अपने प्रति परीक्षण बयानों में यह स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त और सुरेन्द्र कभी साथ घूमने नहीं गये, कभी कोई खेल साथ खेलते नहीं देखा, कभी कोई फिल्म देखने नहीं गये, ऐसी स्थिति में अभियुक्त की सुरेन्द्र के साथ दोस्ती होना नहीं माना जा सकता है। मैं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि गवाह सुरेन्द्र पी.ड. 7 ने स्पष्ट तौर पर कथन किया है कि वह मजदूरी करता है। वह अभियुक्त के साथ कभी फिल्म देखने, घूमने, क्रिकेट या ताश खेलने या शराब पार्टी करने नहीं गया, क्योंकि उसके पास टाईम कम होता है, क्योंकि वह मजदूर व्यक्ति है। गवाह के इस स्पष्टीकरण को नकारने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। एक खेतीहर मजदूर व्यक्ति के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस प्रकार के व्यसन या खेल में भाग ले, जो कि उसे सुझाये गये हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि गांव के ही दो लड़के एक–दूसरे के घर आते–जाते हों, तो उनके मध्य इतनी घनिष्ठ दोस्ती हो कि वे सदैव साथ रहते हो और साथ खेलते–घूमने, फिल्म देखने या बाहर घूमने जाते हों। हम उम्र गांव के लड़कों की आपस में मुलाकात ही दोस्ती के लिये पर्याप्त है। इसके कारण एक–दूसरे के घर आना–जाना स्वाभाविक है। पीड़िता से अभियुक्त के प्रेम संबंधों के प्रमाण के तौर पर केवल अभियुक्त का कथन और अभियोजन गवाहान को दिये गये सुझाव ही

पत्रावली पर हैं, जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त और पीड़िता के मध्य कोई प्रेम–संबंध थे। प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य पूर्णतः साबित है कि अभियुक्त पीड़िता के घर में उसके भाई का दोस्त होने के नाते गत डेढ़ वर्ष से आ–जा रहा था।

37. पीड़िता पी.ड. 2 का शपथ पर कथन है कि उसने एम.ए.–बी.एड. कर रखी है। उसके भाई सुरेन्द्र का दोस्त अभियुक्त हनुमान प्रसाद काफी समय से उसका पीछा करता था और एक–डेढ़ साल से उसे परेशान करता था। उसने एक बार उसके फोन को हैक किया, उसे कहा कि उसकी मम्मी बीमार है और उसे साथ लेकर जंक्शन होटल में ले गया, जहां होटल में जाकर हनुमान ने उसके साथ बलात्कार किया। उसकी विडियो बना ली। उसे धमकाया कि अगर किसी को बताया, तो जान से मार दूंगा और उसका विडियो फेसबुक पर वायरल कर देगा, जो कि उसने प्रश्नगत घटना की दिनांक के बाद दिनांक 31.12.2024 को फेसबुक पर डालकर वायरल भी कर दिया। अभियोजन पक्ष के शेष गवाहान रज्जो देवी पी.ड. 1, देवीलाल पी.ड. 3, सोनू उर्फ चन्द्रकला पी.ड. 6 और सुरेन्द्र कुमार पी.ड. 7 का भी शपथ पर यह कथन है कि पीड़िता ने उन्हें यह बात घटना के बाद बताई है। इस संबंध में ही गवाहान के बयान दौराने प्रति परीक्षण विचलित नहीं होते हैं और इस घटनाक्रम का समर्थन करते हैं। स्वाभाविक है कि अभियुक्त द्वारा उसका पीछा करने और उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में पीड़िता एक मात्र गवाह है।

38. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मेरे समक्ष तर्क रहा है कि पीड़िता द्वारा घटना से पूर्व तक अभियुक्त द्वारा उसका पीछा किये जाने या उसके साथ बलात्कार किये जाने की किसी घटना की कोई जानकारी परिवार के सदस्यों को नहीं दी गई, यहां तक कि बलात्कार के तथ्य की जानकारी भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाते समय नहीं दी गई। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट केवल उसका पीछा करने और उसके घर आकर उस पर गोली चलाने के संबंध में दर्ज करवायी गई है इसलिए पीछा करने के कथन और बलात्कार के कथन विश्वसनीय नहीं है, बल्कि पीड़िता के प्रति परीक्षण बयानों में बलात्कार की घटना के संबंध में आये स्पष्टीकरण दोनों के मध्य आपसी सहमति व प्रेम संबंधों के कारण शारीरिक संबंध बनाने का प्रमाण है। पीड़िता स्वयं अभियुक्त के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर होटल के कमरे में गई है। शारीरिक संबंध बनाते समय स्वयं कपड़े उतारे व पहने हैं और स्वयं अभियुक्त के साथ ही वहां से घर वापिस लौटी है। जिन संबंधों की कोई जानकारी उसने अपने परिवार को नहीं दी। होटल का मालिक साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने बलात्कार के तथ्य की पुष्टि नहीं की है इसलिए पीछा करने और पीड़िता की सहमति के बगैर शारीरिक संबंध

बनाकर बलात्कार करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। मैंने उक्त तर्कों के प्रकाश में पीड़िता के सशपथ दिये गये बयानों का अध्ययन किया। पीड़िता का शपथ पर कथन है कि अभियुक्त द्वारा उसे डरा–धमकाकर और उसकी माॅ के बीमार होने का कहकर उसे अपने साथ मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया और उसे जंक्शन स्थित होटल में ले जाकर बलात्कार किया। पीड़िता का कथन है कि वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती है, उसने एम.ए.–बी.एड. कर रखी है। गांव मुंडा में लाईब्रेरी है, वहां जाकर तैयारी करती है, जिसमें वह सुबह करीब 10 बजे अपनी स्कूटी से जाती है और शाम करीब चार–साढ़े चार बजे तक घर वापिस आ जाती है। लाईब्रेरी में उसके अलावा करीब 30 विद्यार्थी है। बलात्कार के रोज उसे हनुमान घर से मोटरसाईकिल से लेकर गया था। हनुमान ने वहां होटल में पेड़ी से नीचे उतरकर कमरे में जहां केवल एक बेड था, उसके साथ धमकी देकर जबरदस्ती गलत काम किया था। उसका शूट भी हनुमान ने खोला था। सेक्स संबंध बनाने के बाद उसने अपने कपड़े पहन लिये थे, जो पांच मिनट बाद पहने थे। कमरे के बाहर होटल के काउंटर तक हनुमान उसके आगे था और फिर वे होटल के बाहर आ गये। उसने काउंटर पर होटल के रजिस्टर में कोई साईन नहीं किये। यह घटना उसे गोली मारने से लगभग एक महीने पहले की है, जो नवम्बर 2024 की है। इससे पहले वह कभी होटल में नहीं गई। वह होटल से हनुमान के साथ ही अपने घर गई थी, जहां उसे हनुमान छोड़कर आया था। पीड़िता को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि पीड़िता लाईब्रेरी जाकर प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई न करती हो। ऐसा भी कोई सुझाव नहीं दिया गया कि पीड़िता अपनी स्कूटी से आती–जाती नहीं हो, बल्कि अभियुक्त उसे काफी समय से रोजाना अपने मोटरसाईकिल पर लेकर आता–जाता हो। ऐसा भी कोई सुझाव नहीं दिया गया कि पीड़िता लाईब्रेरी नहीं जाती हो और अपने अभियुक्त के साथ प्रेम संबंधों के कारण अकसर उसके साथ घूमने–फिरने या होटल रेस्टोरेंट में आती–जाती हो। लिहाजा प्रेम प्रसंग और प्रेम संबंधों की कोई साक्ष्य दौराने प्रति परीक्षण पीड़िता द्वारा नहीं दी गई है। पीड़िता द्वारा केवल मात्र एक बार अपने घर से हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित होटल में जाना कहती है, जिसके संदर्भ में उसके सुदृढ़तापूर्वक बयान हैं कि अभियुक्त उसे उसके घर से उसकी माॅ का बीमार होने का कहकर अपनी मोटरसाईकिल पर बैठाकर लेकर गया और उसे होटल में ले गया, जहां सीढ़ियों से नीचे उतरकर होटल के कमरे में पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसकी सहमति के बगैर उसके साथ बलात्कार किया। स्पष्ट है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिसके आधार पर पीड़िता के इन दो कथनों को नकारा जा सके कि अभियुक्त उसको लाईब्रेरी में पढ़ने आते–जाते समय पीछा कर तंग–परेशान करता था और घटना से करीब एक माह पूर्व उसकी माता के बीमार होने का कहकर

उसके घर से अस्पताल ले जाने के नाम पर मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया और उसे धमकाकर होटल में ले जाकर बलात्कार किया। केवल मात्र ये परिस्थितियां कि पीड़िता 26 वर्ष की पढ़ी–लिखी लड़की है, वह घटना के तुरन्त बाद अपने साथ हुए बलात्कार की तुरन्त शिकायत अपने परिवारजन को नहीं करती है या पुलिस द्वारा कोई अश्लील विडियो, फोटो या इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त नहीं किये गये हैं, पीड़िता के कथनों की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लग सकता है। पीड़िता ने शपथ पर मुख्य परीक्षण बयानों में कथन किया है कि दिनांक 31.12.2024 को अभियुक्त ने उसका बलात्कार के समय बनाया गया विडियो फेसबुक पर डाल दिया, जिसका कोई खण्डन करने का प्रयास अभियुक्त की तरफ से नहीं किया गया। पुलिस अनुसंधान में रही त्रुटि अभियुक्त को कोई मददद नहीं करती है और पीड़िता के शपथ पर दिए गए सुदृढ़ बयानों को खण्डित करने का आधार नहीं बन सकते हैं।

39. यह सही है कि बलात्कार की घटना पीड़िता पर फायर करने किए जाने की घटना से करीब एक माह पूर्व की होना पीड़िता ने कहा है, जिसके संबंध में वह अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताने का कथन करती है और इसका कारण अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी व उसके बनाये गये विडियो होना कहती है। ग्रामीण परिवेश की एक 26 वर्षीया लड़की का उक्त आचरण किसी भी प्रकार स्वाभाविकता से विपरीत नहीं कहा जा सकता है। बलात्कार की इस घटना और पीछा करने की घटना का कोई चश्मदर्शी गवाह नहीं हो सकता है। अभियोजन साक्ष्य में परीक्षित गवाह दीपक पी.ड. 8 हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मेट्रो पिज़्ज़ा होटल एण्ड रेस्टोरेंट का स्वयं को मालिक होना कहता है और दिनांक 11.10.2024 को अपने होटल में हनुमान प्रसाद व पीड़िता के खाने पीने व आराम करने के लिए आना बयान करता है। वह 11.30 बजे आना और 1.30 बजे वापिस जाने का कथन करता है, जिसका अपने पंजीयन रजिस्टर में इन्द्राज प्रदर्शपी–12 साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्शित करता है। प्रदर्शपी–12 दस्तावेज के अवलोकन से पाया जाता है कि दिनांक 11.10.2024 के उक्त इन्द्राज पर हनुमान प्रसाद पुत्र सुभाष अभियुक्त का नाम अंकित है, साथ ही पीड़िता का नाम भी अंकित किया गया है, परन्तु इस पर पीड़िता के कोई हस्ताक्षर नहीं है और तारीख में कटिंग की गई है। यह इन्द्राज दिनांक 11.10.2024 का होना अंकित है, जबकि इसके बाद का इन्द्राज दिनांक 17.1.2024 का अंकित किया गया है। इस इन्द्राज में स्पष्ट नजर आता है कि पहले किसी अन्य व्यक्ति का इन्द्राज था। इस सम्पूर्ण पृष्ठ में कमरे किराये पर लेने वाले व्यक्ति के नाम–पते अंग्रेजी में दर्ज किये गये हैं। इस इन्द्राज में भी पहले अंग्रेजी में कोई नाम अंकित था, जिसको काटकर पीड़िता और अभियुक्त का नाम अंकित किया गया है, जो हिन्दी में अंकित किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्शपी–12 में ही दिनांक 04.07.2024 की तारीख पर

दो अन्य इन्द्राज क्रम सं. 21 व 22 पर किये गये हैं, जिसमें पहले अभियुक्त हनुमान प्रसाद व बाद में पीड़िता का इन्द्राज किया गया है। प्रदर्शपी–15 में दिनांक 11.10.2024 के इन्द्राज के अनुरूप किसी भी और इन्द्राज पर एक साथ दो के नाम अंकित नहीं किये गये हैं। स्पष्ट है कि यह दस्तावेज रजिस्टर एक मौलिक दस्तावेज नहीं है। इसमें कांटछांट कर पीड़िता और अभियुक्त का नाम अंकित किया जाना इस संभावना को बलवती करता है कि उक्त इन्द्राज पश्चातवर्ती तौर पर किये गये हो सकते हैं ताकि यह दर्शाने का प्रयास किया जा सके कि पीड़िता और अभियुक्त इस होटल में बार–बार आते थे। गवाह दीपक पी.ड. 8 अपने बयानों में अभियुक्त को पहचानना कहते हुए यह बयान देता है कि अभियुक्त एक लड़की को साथ लेकर उसके होटल में आया था, जो खाने–पीने और आराम करने आया था। स्पष्ट है कि कमरे में ठहरने का इन्द्राज उक्त रजिस्टर में किया गया है। यह गवाह दौराने प्रति परीक्षण अपने उक्त कथनों से परिवर्तित होते हुए अभियुक्त के कथनों को समर्थन देता है कि वह उस रोज कमरे में नहीं गया और केवल रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा–कॉफी मंगवाकर खाकर वहां से चला गया। यह कतई स्वाभाविक नहीं है कि रेस्टोरेंट में आकर केवल पिज्ज़ा खाने और कॉफी पीने के लिये आने वाले व्यक्तियों का इन्द्राज होटल के रजिस्टर में किया जाये। अतः यह गवाह अभियोजन कहानी का दौराने प्रति परीक्षण समर्थन करने के स्थान पर अभियुक्त के कथनों का समर्थन करना प्रारम्भ कर देता है। अतः इस गवाह के कथन विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के इन्द्राजात में उभरकर आये विरोधाभास भी इस गवाह की अभियुक्त के साथ मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं। पीड़िता के शपथ पर दिये गये बयान पूर्णतः सुदृढ़ हैं। कोई भी परिस्थिति उसके कथनों का खण्डन नहीं करती है, गवाह पी.ड. 8 दीपक के कथनों के आधार पर उसके कथनों को नकारा नहीं जा सकता है। पीड़िता की उम्र और परिस्थितियों में अभियुक्त के उसे जान से मारने की धमकी या उसका विडियो वायरल कर देने की धमकी के दबाव में आने और इस कारण अपने माता–पिता को अभियुक्त द्वारा की गई जबरदस्ती बलात्कार की घटना को बयान करने से गुरेज करना और अपने परिवार के सदस्यों को इस तथ्य के बारे में जानकारी नहीं देना भी अपने आप में पूर्णतः स्वाभाविक आचरण है। ऐसी स्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रथम कथन के समय भी पीड़िता द्वारा अपने माता–पिता द्वारा दर्ज करवायी गई तहरीरी रिपोर्ट की हद तक अपने पुलिस बयानों में कथन किया जाना भी अस्वाभाविक नहीं है।

40. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पीड़िता की माता व भाई द्वारा दर्ज करवायी गई है। जबकि पीड़िता गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती थी। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि पीड़िता से पूछताछ करने के बाद उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवायी गई हो।

पीड़िता के पुलिस बयान प्रदर्शडी–2 घटना के तीसरे दिन दिनांक 25.12.2024 को लेखबद्ध किये गये हैं, जिसमें बलात्कार की उस घटना को उजागर नहीं किया गया है, परन्तु पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रदर्शपी–7 में दिनांक 03.01.2025 को अपने साथ हुई बलात्कार की घटना को वर्णित किया है, जिसके पश्चात दिनांक 06.01.2025 को पीड़िता का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना हुआ, जिसमें पीड़िता का गर्भवती होना पाया गया। उक्त मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के शपथ पर दिये गये इस आशय के कथनों का समर्थन करती है कि उसके साथ माह नवम्बर में अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया। अतः यह परिस्थिति पीड़िता के शपथ पर दिये गये बयानों का पूर्णतः समर्थन करती है। ऐसा कोई कथन पत्रावली पर पीड़िता द्वारा नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उसके कथनों की सत्यता पर प्रश्नचिह्न लग सके।

41. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क का जहां तक प्रश्न है कि मेडिकल साक्ष्य से पीड़िता के साथ बलात्कार होने के कथनों की पुष्टि नहीं होती है, बल्कि परिस्थितियां सहमति की ओर इशारा करती है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। गवाह डॉक्टर शिप्रा शर्मा पी.ड. 20 अपने शपथ पर दिये गये बयानों में पीड़िता की बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्शपी–5 को प्रमाणित करते हुए यह स्वीकार करती है कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पायी गई, परन्तु उक्त मेडिकल मुआयना घटना के एक माह से भी अधिक अवधि के पश्चात हुआ है, जिस अवधि में पीड़िता के शरीर पर बलात्कार संबंधी बाह्य व आंतरिक चोट या निशान होना कतई स्वाभाविक नहीं था। इसके अतिरिक्त पीड़िता का शपथ पर कथन है कि अभियुक्त द्वारा उस पर दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये गये हैं। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है कि पीड़िता द्वारा अपनी सहमति दबाव के कारण न दी हो और सहमति नहीं देकर पीड़िता ने विरोध किया हो। विरोध की स्थिति में ही पीड़िता के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक चोट कारित होना संभव हो सकती थी, परन्तु पीड़िता का ऐसा कोई शपथ पर बयान नहीं है। उसका कथन है कि अभियुक्त उसे धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर दबाव में साथ में ले गया था। अतः ऐसी स्थिति में मेडिकल साक्ष्य में डेढ़ महीने पश्चात किसी प्रकार के बलात्कार के कोई प्रमाण नहीं पाया जाना पीड़िता के कथनों की सत्यता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाता है। पीड़िता का गर्भवती होना पाया जाना डॉक्टर शिप्रा शर्मा द्वारा शपथ पर बयान किया गया है, जिसके संबंध में कोई प्रति परीक्षण इस गवाह से नहीं किया गया है। दौराने बहस भी पीड़िता के गर्भवती होने के तथ्य को नकारने का कोई तर्क विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता और अभियुक्त के मध्य आपसी सहमति व

राजीखुशी से संबंध बने थे अर्थात अभियुक्त की तरफ से उसके स्वयं के कथन और उसके अधिवक्ता के तर्कों के अनुसार पीड़िता अभियुक्त से गर्भवती थी, जिस गर्भवती होने का कारण अभियुक्त द्वारा उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध उसे धमकाकर शारीरिक संबंध बना लेना पीड़िता कहती है, जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं है। अतः पीड़िता के शपथ पर दिये गये बयानों को नकारने का कोई आधार मेरे समक्ष नहीं है। ऐसी कोई परिस्थिति उभरकर मेरे सामने नहीं आती है, जिसके आधार पर पीड़िता व अभियुक्त के मध्य आपसी प्रेम संबंध होना और उक्त प्रेम संबंधों के चलते अभियुक्त और पीड़िता द्वारा आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाना प्रकट होता हो। पीड़िता द्वारा अपने माता–पिता से अभियुक्त की धमकी के चलते अभियुक्त द्वारा की गई ज्यादती को उजागर नहीं करना उसकी सहमति का द्योतक नहीं हो सकता है, बल्कि उसके अभियुक्त की धमकी के दवाब में होने का भी द्योतक है। ऐसी स्थिति में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखाते समय पीड़िता की माता को इस तथ्य का ज्ञान नहीं होना और उनके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में बलात्कार की घटना के बारे में अंकित नहीं किया जाना या पीड़िता द्वारा अपने प्रथम पुलिस बयानों में बलात्कार संबंधी तथ्य को उजागर नहीं किया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं हो सकता है।

42. अभियुक्त शारीरिक रूप से सम्भोग करने में सक्षम है, इस तथ्य को डॉ0 विनित गौतम पी.ड. 18 द्वारा प्रमाणित किया गया है। अभियुक्त की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–60 साक्ष्य में साबित की गई है। खण्डन में कोई सुझाव नहीं दिया गया कि अभियुक्त संभोग करने में सक्षम नहीं है। अतः अभियुक्त द्वारा पीड़िता का उसके घर से बाहर आने जाने के दौरान उसका पीछा करना और उसे धमका कर दवाब में होटल ले जाकर उसके साथ बलात्कार करना पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से साबित है। अभियुक्त द्वारा उक्त होटल की निशानदेही की साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है, परन्तु बलात्कार स्थल से कोई अलामात या तथ्य की बरामदगी प्रमाणित नहीं होती है। पीड़िता द्वारा जिस प्रकार होटल के घटनास्थल की निशानदेही करते हुए रिसेप्शन से नीचे सीढ़ियां उतरकर जिस कमरे में घटनास्थल होना बताया है, उसी कमरे को अभियुक्त द्वारा भी अपनी निशान देही से बलात्कार का स्थल होना बताया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से उक्त निशानदेही के संबंध में परीक्षित करवाये गये गवाहान और उनके द्वारा मुर्तिब किए गए घटनास्थल के नक्शा मौका व हालात मौका और अनुसंधान अधिकारी के अभियुक्त व पीड़िता की निशानदेही से उक्त घटनास्थल की निशानदेही की फर्दात व नक्शा मौका व हालात मौका तैयार करने की कार्यवाही केवल मात्र इस तथ्य को समर्थन देती है कि जो घटनास्थल पीड़िता द्वारा बताया गया है, वही घटनास्थल अभियुक्त द्वारा भी होना अनुसंधान अधिकारी को बताया गया है।

अभियुक्त की तरफ से घटनास्थल के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है, बल्कि उसका कथन है कि केवल मात्र यह है कि संबंध सहमति से बनाये गये थे। अतः पुलिस अनुसंधान के दौरान की गई उक्त कार्यवाही पीड़िता के कथनों का पर्याप्त तौर पर समर्थन करती है। लिहाजा पीड़िता के शपथ पर दिए गए बयान, मेडिकल साक्ष्य और पुलिस अनुसंधान के दौरान अभियुक्त व पीड़िता द्वारा बलात्कार स्थल की निशानदेही की साक्ष्य यह प्रमाणित करती है कि अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने परिवादिया की पुत्री पीड़िता को मोबाईल पर फोन करके, पीड़िता का मोबाईल हैक करके इलैक्ट्रिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को मानीटर कर उसका पीछा किया तथा अभियुक्त हनुमान प्रसाद ने दिनांक 23.12.2024 से करीब एक माह पूर्व किसी समय व मेट्रो पिज्ज़ा होटल, हनुमानगढ़ जंक्शन के कमरे में पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, सम्मति के बिना, धमका कर लैंगिक मैथुन कर बलात्कार किया। अतः अभियुक्त द्वारा धारा 78 (2) व धारा 64 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है।

43. जहां तक धारा 332, 352 व 109 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध का प्रश्न है, पीड़िता पी.ड. 2 का शपथ पर बयान है कि दिनांक 23.12.2024 को शाम करीब 6.30 बजे हनुमान उनके घर आया, तब उसके पापा और भाई घर पर नहीं थे। उसकी माता व भाभी घर पर थी, जो अपने घरेलू काम में लगी हुई थी। वह कमरे में पढ़ रही थी। वहां आकर अभियुक्त ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने शोर मचाया तो उसकी माता व भाभी आई। भाभी को उसने पानी लाने भेज दिया और मम्मी को कोहनी मारकर गिरा दिया और उसकी छाती पर जान से मारने के लिए गोली मार दी। गवाह ने दौराने प्रति परीक्षण कथन किया है कि घटना के दिन हनुमान उसके कमरे में आ गया था, जिस कमरे के बाहर बरामदा है। यह सही है कि वह अपने कमरे से निकलकर मटर लहसून की फसल के पास आ गई थी, वहां टयूबवैल बना हुआ है, उस वक्त उसकी भाभी सोनू, उसकी माता रज्जो देवी उसके पास थी, जब अभियुक्त ने गोली चलाई तो उसकी भाभी व माता के कोई चोट नहीं लगी। इसी प्रकार रज्जो देवी पी.ड. 1 का शपथ पर मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 23.12.2024 को शाम करीब 5.30 बजे उसके पुत्री पीड़िता और उसकी पुत्र वधू सोनू घर पर अकेली थी तो हनुमान मोटरसाईकिल पर आया, जिसके हाथ में नाजायज पिस्तौल थी जो जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और उसकी पुत्री के साथ गाली गलौच व जबरदस्ती करने लगा। उसने रोका तो हनुमान ने उसकी पुत्री पर फायर कर दिया जो उसकी पुत्री के छाती पर लगा। उन्होंने शोर मचाया तो मुलजिम मोटरसाईकिल छोड़कर वहां से भाग गया। दौराने प्रति परीक्षण गवाह ने कथन किया है कि हनुमान ने उनके घर आने पर उससे या

उसकी बहू से या उसकी पुत्री से कोई बातचीत नहीं की। उसने मुलजिम को गोली मारते हुए देखा था। वह पास में ही पशुओं के पास थी। उसने नजदीक से ही देखा था। पीड़िता के कन्धे व चेहरे पर भी छर्रे की चोट लगी थी। गवाह सोनू उर्फ चन्द्रकला पी.ड. 6 का शपथ पर कथन है कि शाम करीब 6 बजे हनुमान मोटरसाईकिल लेकर उनकी ढाणी में आया। उसकी सास व नणद से बातचीत करने लगा। हनुमान ने उसकी सास को कहा पीड़िता हमेशा घर से बाहर उसके साथ जाती है आज ये बैंक उसके बिना कैसे चली गई। हनुमान जोर–जोर से बोल रहा था। थोड़ी देर बाद हनुमान जोर–जोर से बोलता हुआ कमरे से बाहर आया और पीछे–पीछे उसकी सास व नणद भी आ गई, तब हनुमान ने अपने पास से पिस्टल निकाल कर उसकी नणद पीड़िता की छाती में जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिससे उसकी नणद बेहोश होकर गिर गई। हनुमान वहां से गांव की तरफ भाग गयाा। दौराने प्रति परीक्षण गवाह का कथन है कि हनुमान पहले कभी उनके घर नहीं आया, बस घटना के रोज ही आया था। हनुमान ने उसकी सास व पीड़िता से ढाणी में एक कमरे में करीब 10–15 मिनट बात की। उस वक्त वह रसोई में थी, रोटी सब्जी बना रही थी, जो रसोई कमरे के पास ही है। फिर वहां झगड़ा हो गया और हनुमान ने गोली चला दी। हनुमान गांव की तरफ भाग गया। उसे या उसकी सास के गोली की चोट नहीं लगी। इन तीनों गवाहान के बयानों से स्पष्ट है कि गवाहान के शपथ पर दिए गए बयानों के अनुसार अभियुक्त मोटरसाईकिल पर पीड़िता की ढाणी में बने मकान पर पहुंचा व पीड़िता के कमरे में भी गया, जहां उससे बातचीत के दौरान पीड़िता की मां भी मौजूद थी, जहां उनके बीच झगड़ा होने के बाद पीड़िता और अभियुक्त और पीड़िता की माता कमरे के बाहर स्थित बरामदा के बाहर खुले में आये, जहां आने के बाद अभियुक्त द्वारा पीड़िता को उसके पास मौजूद पिस्टल से गोली मार दी गई। इस घटनाक्रम के संबंध में इन तीनों गवाहान के शपथ पर दिये गये बयान पूर्णतः सुदृढ़ हैं। दौराने प्रति परीक्षण इसके विपरीत किसी परिस्थिति का कोई सुझाव अभियुक्त की तरफ से नहीं दिया गया। अभियुक्त की तरफ से यह सुझाव रहा है कि पीड़िता और हनुमान आपस में शादी करना चाहते थे, जिनको अलग करने के लिये अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा बनाया गया है, जिस सुझाव से अभियोजन गवाहान ने इनकार किया है।

44. पीड़िता का पिता देवीलाल पी.ड. 3 घटनास्थल का चश्मदर्शी गवाह नहीं है, परन्तु वह घटनाक्रम उक्त गवाहों के बताये अनुसार तदनुरूप होना ही कहता है और यह स्वीकार करता है कि टयूबवैल के आगे उनकी मटर व लहसुन की खेती की हुई थी, उसके पास अभियुक्त द्वारा पीड़िता को गोली मारी गई। गवाह सुरेन्द्र कुमार पी.ड. 7 जो कि पीड़िता का भाई है, उसने अपने पिता के अनुरूप ही घटना के संदर्भ में जानकारी के आधार पर

घटना को बयान किया गया होना स्वीकार किया है। यह भी घटना का चश्मदर्शी गवाह नहीं है और यह भी मटर व लहसुन की खेती के पास गोली मारने का अभियुक्त की तरफ से दिये गये सुझाव को स्वीकार करता है। घटना के चश्मदर्शी गवाहान के आधार पर पड़ौसी गवाहान जयपाल उर्फ जयलाल पी.ड. 4 और लालचंद पी.ड. 5 परीक्षित करवाये गये हैं, जो अपने शपथ पर दिये गये बयानों में स्वयं का अपनी ढ़ाणी पर होना और फायर की आवाज सुनकर दौड़कर पीड़िता के पिता देवीलाल की ढ़ाणी पर आना कहते हैं। उनका कथन है कि हनुमान पुत्र सुभाष के हाथ में पिस्तौल था, जो उन्हें देखकर वहां से भाग गया और पीड़िता का जमीन पर गोली लगकर पड़ी होना पाया जाना बयान करते हैं। ये गवाहान घटनास्थल पीड़िता के मकान के बरामदा के सामने का होना कहते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उस वक्त उन्होंने अभियुक्त हनुमान को वहां पर नहीं देखा, जो पहले ही भाग गया था। गवाह जयपाल उर्फ जयलाल पी.ड. 4 का कथन है कि अभियुक्त उस वक्त धुंध व अंधेरा होने के कारण उनको दिखाई दिये बगैर ही मौका से भाग गया। स्पष्ट है कि चश्मदर्शी गवाह व मामले की मजरूबा और उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा शपथ पर दिये गये इस घटनाक्रम के संबंध में कथन पूर्णतः सुदृढ़ हैं, जिनको कोई विपरीत घटनाक्रम नहीं सुझाया गया है, बल्कि केवल घटना को झूठा बनाये जाने का अभियुक्त की तरफ से सुझाव दिया गया है।

45. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिये गये इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं कि गवाहान के बयान घटनास्थल के संबंध में विरोधाभासी हैं। यह सही है कि कुछ गवाहान ने घटना को मटर–लहसुन के खेत के सामने होना कहा है और कुछ गवाहान घर के बरामदा के सामने घटना होना कहते हैं, परन्तु यदि पुलिस द्वारा तैयार किये गये नक्शा–मौका व हालात–मौका को देखा जाये, तो यह स्पष्ट है कि मकान के सामने स्थित खाली जगह जिस स्थान पर पीड़िता को अभियुक्त द्वारा गोली मारना कहा गया है, उसके ठीक सामने ही वह खेत है, जिसमें मटर और लहसुन की खेती की गई है। मकान के बरामदा और मटर–लहसुन की खेती के बीच के घटनास्थल पर घटना घटित हुई है। अतः गवाहान द्वारा अलग–अलग तरीके से घटनास्थल को बयान कर देने से घटनास्थल परिवर्तित नहीं होता है। सभी गवाहान का कथन है कि पीड़िता घर से बाहर गोली लगकर पड़ी हुई थी और उसे अभियुक्त द्वारा घर से बाहर गोली मारी गई। गवाहान के बयानों में यह विरोधाभास होना नहीं कहा जा सकता है कि गोली कमरे के अंदर मारी गई। गवाहान के बयानों के अनुसार अभियुक्त पीड़िता के घर में आता–जाता था और उस रोज भी आया था। जहां उसने पहले पीड़िता के साथ उसके कमरे में ही जबरदस्ती का प्रयास किया, जिसके द्वारा शोर मचाने पर उसकी माता मौका पर आ गई, जहां उनके साथ अभियुक्त की कहासुनी हुई, जिस कहासुनी के अनुसार गवाह सोनू उर्फ

चन्द्रकला द्वारा अभियुक्त का यह कहने का कथन किया गया है कि पीड़िता उसी के साथ घर से बाहर जायेगी। स्पष्ट है कि अभियुक्त न सिर्फ पीड़िता बल्कि उसकी माता पर भी दबाव बना रहा था और धमकी दे रहा था। उसके पास पिस्तौल होना भी गवाहान ने कहा है। उस पिस्तौल का इस्तेमाल कर पीड़िता को गोली मारने का भी गवाहान ने कथन किया है, जिस गोली की आवाज पड़ौसियों द्वारा भी सुनी गई और वे भी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां पीड़िता को घायल अवस्था में गोली लगकर पड़ी होना पाया गया। अतः गवाहों के बयानों में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है, जिसके आधार पर इस घटनाक्रम के अनुसार घटना घटित होने से इनकार किया जा सके। जहां तक दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि गोली चलने के स्थान और दूरी में गवाहान के बयानों में विरोधाभास है, उक्त विरोधाभास कतई तात्विक होना नहीं पाया जाता है। उक्त विरोधाभास को स्वाभाविक विरोधाभास होना कहा जायेगा, जिसके अनुसार गवाहान के कथनों की सत्यता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगता है, बल्कि उनके कथन स्वाभाविक होना और रटेरटाये कथन नहीं होना प्रमाणित होता है। अतः इन अभियोजन गवाहान के शपथ पर दिये गये बयानों को विरोधाभासी या मनघढ़ंत या झूठे नहीं कहा जा सकता है।

46. अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता के मेडिकल मुआयनाकर्ता डॉ0 विनित गौतम पी.ड. 18 को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जो घटना के अगले दिवस दिनांक 24.12.2024 को भर्तीशुदा मजरूबा पीड़िता का चोटों बाबत मेडिकल मुआयना कर तैयार किए गए चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श–59 को प्रमाणित करता है। गवाह का कथन है कि पीड़िता की छाती पर ऊपर की तरफ मध्य रेखा के करीब 4 सेमी. गुणा 3 सेमी. का खरोंचनुमा घाव था, जिस घाव के चारों तरफ बहुत सारे छोटे–छोटे लाल रंग के लीजन (निशान) थे। दौराने प्रति परीक्षण गवाह का कथन है कि चोट ऊपरी सतह पर थी, जो किस प्रकार के हथियार से कारित की गई थी, वह निश्चित नहीं बता सकता। चोट फायर आर्म की थी या नहीं, इस बाबत भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। उसने घाव से सेलाईन गोज पट्टी रगड़ कर व गोज पट्टी कण्ट्रोल सैम्पल कांच की शीशी में सीलबंद कर गन पाऊडर की जांच हेतु भेजा था। चोट साधारण प्रकृति की थी, गंभीर या जान लेवा नहीं थी, जो चोट किसी खुरदरी सतह के रगड़क खाने से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा यह डॉक्टर पीड़िता के शरीर पर छाती के ऊपरी बायें भाग में मध्य रेखा के नजदीक 4 गुणा 3 सेमी. का खरोंचनुमा घाव पाया जाना बयान करता है, जिसके गन फायर के कारण होने की संभावना को भी नहीं नकारता है और रगड़क से आने की संभावना से भी इनकार नहीं करता है। पीड़िता और गवाहान के शपथा पर दिए गए बयानों के अनुरूप पीड़िता के शरीर पर उक्त चोट

पाई गई है, जिसको फायर आर्म से कारित होने की गवाहान द्वारा साक्ष्य दी गई है। डॉ0 कृष्ण कुमार शर्मा पी.ड. 23 पीड़िता का इलाजकर्ता डॉक्टर के तौर पर परीक्षित हुआ है, जो भी पीड़िता के घाव के फायर आर्म से कारित होना बताये जाने के साथ–साथ उसका उपचार अपने द्वारा किया जाना कहता है और बेड हेड टिकट प्रदर्शपी–78 व डिस्चार्ज समरी प्रदर्शपी–79 को साक्ष्य से प्रमाणित करता है। उसके द्वारा भी उपरोक्त साक्ष्य के अनुरूप ही साक्ष्य दी गई है।

47. जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच का प्रश्न है, अभियोजन साक्ष्य में परीक्षित गवाहान द्वारा अनुसंधान के दौरान डॉक्टर व अनुसंधान अधिकारी द्वारा एकत्रित कर सीलबंद किए गए वजह सबूतों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु सीलबंद सुरक्षित हालत में प्रेषित किए जाने की साक्ष्य दी गई है, जिसके संबंध में कोई उज्र अभियुक्त की तरफ से दौराने बहस नहीं उठाया गया है कि अभियोजन पक्ष उक्त तथ्य को साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्शपी–73 व 75 के अनुसार डॉ0 विनित गौतम पी.ड. 16 द्वारा पीड़िता के घाव पर रगड़कर उठाये गये सेलाईन गोज और सैम्पल गोज एक ही प्रकृति के होना पाए गए हैं और सेलाईन गोज पर गन पाऊडर की मौजूदगी पाई गई है। अतः पीड़िता के घाव पर गन पाऊडर पाया गया है। स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उक्त रिपोर्ट और पीड़िता के मेडिकल मुआयनाकर्ता डॉ0 विनित गौतम की रिपोर्ट एवं उसके शपथ पर दिए गए बयान इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि पीड़िता की छाती पर जो चोट पाई गई है, वह फायर आर्म द्वारा कारित की गई थी। उक्त साक्ष्य पीड़िता व अभियोजन गवाहान के शपथ पर दिए गए इस आशय के बयान का समर्थन करती है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर उसे जान से मारने की नियत से पिस्तौल से फायर कर गोली मारी गई, जो उसकी छाती पर मध्य भाग से बायीं तरफ मिड लाईन के नजदीक लगा।

48. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य का अध्ययन एवं विवेचन किए जाने से यह पाया जाता है कि पी.ड. 2 पीड़िता अपनी साक्ष्य में दिए गए बयानों में वक्त घटना स्वयं का कुर्ता व स्वेटर पहने होना बयान करती है। गोली लगने के कारण कुर्ता व स्वेटर जल जाना भी बयान करती है, जिनमें कुर्ता को अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 13 रणवीर सिंह एस.आई. द्वारा पीड़िता से जप्त कर सील बंद कर जरिये फर्द प्रदर्शपी–3 अपने कब्जा में लिया जाना बयान किया है। पीड़िता से उक्त कुर्ता की बरामदगी के गवाह के तौर पर पीड़िता पी.ड. 2 और पीड़िता की माता रज्जो देवी पी.ड. 1 अपने शपथ पर दिए गए बयानों से उक्त बरामदगी को समर्थन देती है। उक्त कुर्ता भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया जाना अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहान अपने शपथ पर दिए गए बयानों में

पूर्व विवेचनानुसार बयान करते हैं, जिनके कथनों में कोई विरोधाभासी स्थिति उभर कर सामने नहीं आती है, जिसके आधार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच पर कोई प्रश्नचिह्न लग सके। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्शपी–75 के अनुसार पीड़िता की जप्तशुदा वक्त घटना पहनी गई स्वेटर पर भी गन पाऊडर की मौजूदगी पाई गई, जो तथ्य भी अभियोजन गवाहान के शपथ पर दिए गए बयानों की पुष्टि करता है।

49. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि पीड़िता ने वक्त घटना कुर्ता और उसके ऊपर स्वेटर पहनी होना कहा है। अनुसंधान अधिकारी ने केवल स्वेटर जप्त किया है। कुर्ता जप्त नहीं किया, जिस कुर्ता पर गोली के कोई निशान नहीं पाए गए, ना ही गन पाऊडर बाबत विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाई गई है इसलिए पीड़िता के स्वेटर पर गन पाऊडर पाए जाने का तथ्य संदिग्ध है, मैं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। डॉ0 विनित गौतम पी.ड. 18 अपने शपथ पर दिए गए बयानों में अपनी रिपोर्ट प्रदर्शपी–59 को प्रमाणित करते हुए बयान देता है कि मजरूबा ने पीच रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जो बायीं तरफ से फटा हुआ था व काला पड़ा हुआ था, जिसके इस कथन का कोई खण्डन करने का प्रयास अभियुक्त की तरफ से नहीं किया गया है। उसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्शपी–59 में भी यह तथ्य अंकित है। पुलिस द्वारा इस कुर्ता को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु जप्त नहीं किया जाना और केवल इसके ऊपर पहनी हुई स्वेटर को जप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया जाना अनुसंधान अधिकारी की लापरवाही व कमी तो हो सकती है, परन्तु इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है। कुर्ता की जांच से एक अतिरिक्त साक्ष्य तो एकत्रित हो सकती थी, परन्तु स्वेटर की जांच से उजागर हुए तथ्य व अन्य मेडिकल व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की साक्ष्य को नकारने के लिए उक्त कमी पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला और मेडिकल साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि गवाहान को शपथ पर दिए गए सुदृढ़ बयानों का समर्थन पीड़िता की मेडिकल साक्ष्य व विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच से होता है कि पीड़िता के स्वेटर पर और उसके शरीर पर आई चोट से गन पाऊडर की मौजूदगी पीड़िता पर गोली चलाये जाने का और उसकी चोट पिस्तौल की गोली से आने का प्रमाण है।

50. अनुसंधान अधिकारी रणवीर सिंह पी.ड. 13 ने शपथ पर इस आशय की साक्ष्य दी है कि उसने घटनास्थल से जरिये फर्द प्रदर्शपी–8 मोटरसाईकिल हीरो होण्डा नंबर आरजे–31–एसएम–4031 तथा एक जिंदा कारतूस 122 बोर व एक खाली कारतूस 12 बोर जिन प्रत्येक पर अंग्रेजी में के एफ 12 स्पेशल अंकित था, बरामद किये गये थे, जिनका खाका भी फर्द पर अंकित किया था। बरामदगी के मौतबिरान के तौर पर अभियोजन गवाह

सोनू उर्फ चन्द्रकला व देवीलाल ने अपने शपथ पर दिए गए बयानों में उक्त बरामदगी के तथ्य का समर्थन किया है। जहां तक मोटरसाईकिल का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य में मोटरसाईकिल का मालिक चन्द्रभान पी.ड. 16 परीक्षित करवाया गया है, जो अपने शपथ पर दिए गए बयानों में उक्त मोटरसाईकिल का स्वयं को पंजीकृत स्वामी होना मानते हुए उस मोटरसाईकिल की आर.सी. प्रदर्शपी–56 और खरीद का बिल प्रदर्शपी–58 अपने साक्ष्य से प्रमाणित करता है। वह उनमें अपना नाम पंजीकृत स्वामी के तौर पर दर्ज होने के तथ्य को स्वीकार करता है और उस मोटरसाईकिल को अभियोजन कहानी के विपरीत अभियुक्त को बेचान करने से इनकार करता है तथा पुलिस द्वारा इस मुकदमें में जप्त किये जाने के तथ्य को स्वीकार करते हुए मोटरसाईकिल का बयान देने के समय भी पुलिस थाना में खड़ा होना स्वीकार करता है। गवाह ने अभियुक्त की तरफ से इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल को थाने वालों ने उससे थाना पर मंगवाया था, जिस पर उसने थाना पर पेश किया, तब जप्त किया गया। यह गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अतः इसकी साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि यह वाहन का पंजीकृत स्वामी है। साथ ही यह भी प्रमाणित है कि यह उक्त मोटरसाईकिल को अभियोजन गवाहान के कथनानुसार परिवादी की ढाणी में खड़े मिलने के तथ्य को नकाने की कोई साक्ष्य नहीं देता है और ना ही उसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। अतः इस गवाह का पक्षद्रोही घोषित होना अभियोजन गवाहान के कथनों की सत्यता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाता है, बल्कि स्वयं के अभियोजन कहानी के इस हिस्से का समर्थन करने से इनकार कर देने का द्योतक है, जो हिस्सा अभियुक्त के विरूद्ध जा सकता है। इस गवाह ने अपने मोटरसाईकिल की जप्ती के तथ्य को स्वीकार किया है। जप्ती के संबंध में अस्वाभाविक कथन किया है कि पुलिस के कहने पर उसने स्वयं ले जाकर मोटरसाईकिल थाना में पेश किया था ताकि अभियुक्त को फंसाया जा सके। अतः मोटरसाईकिल की मौका से बरामदगी के संसबंध में अभियोजन गवाहान की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

51. मैं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि मौका से जप्तशुदा दोनों कारतूसों में कोई साईज का अंतर है, जो कि उनके खाका से प्रतीत होता है। खाका बनाते समय मामूली तौर पर कोई अंतर आ जाना स्वाभाविक है। दोनों कारतूसकी मौके से बरामदगी बाबत अनुसंधान अधिकारी व मौतबिर गवाहान की साक्ष्य, आरमोर्र व विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किये गये मुआयना और जांच रिपोर्ट के प्रकाश में यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि उनके साथ कोई हेराफेरी की गई है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्शपी–74 में स्पष्ट तौर पर अंकित है कि एक खाली कारतूस व एक जिंदा

कारतूस उनको प्राप्त हुए, जिनमें से मुआयना के दौरान जिंदा कारतूसों को भी उनके द्वारा टेस्ट फायर किया गया। फलस्वरूप न्यायालय के समक्ष दोनों कारतूसों का खाली प्रस्तुत होना अभियोजन कहानी या अभियोजन की कार्यवाही पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाता है।

52. उपरोक्त साक्ष्य के पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी मोनिका बिश्नोई पी.ड. 21 ने अपने शपथ पर दिए गए बयानों से अभियुक्त की गिरफ्तारी जरिये फर्द प्रदर्शपी–36 किया जाना प्रमाणित करते हुए उसके द्वारा दौराने पुलिस हिरासत दी गई इत्तिला प्रदर्शपी–65 के अनुसार बरामदगी की फर्द प्रदर्शपी–38 अपने द्वारा खेत में खड़ी कणक की फसल के पास खुले में पड़े कचरा के नीचे खड्डा खोदकर छुपाकर रखी एक पिस्तौल प्रस्तुत किया जाना, जिसे उसके द्वारा जप्त किया जाना प्रमाणित किया है। इस बरामदगी को दोनों गवाहान रणवीर सिंह एस.आई. पी.ड. 13 प्रदीप सिंह पी.ड. 15 द्वारा भी अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। घटनास्थल पर उक्त बरामदशुदा पिस्तौल को सीलबंद कर जप्त किया जाना और उसे सीलबंद हालत में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचाये जाने की साक्ष्य भी पूर्व विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी बाबत कोई विरोधाभास खण्डनात्मक स्थिति पत्रावली पर उभरकर सामने नहीं आता है। उक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्रदर्शपी–74 के अनुसार मौका से मिला एक खाली कारतूस और अभियुक्त से बरामदशुदा पिस्तौल की जांच पर यह पाया गया कि उक्त पिस्तौल से फायर किया गया है और पाया गया खाली खोखा उसी पिस्तौल से फायर किया गया है। अतः अभियुक्त के कब्जा से बरामदशुदा पिस्तौल से फायर किए गए कारतूस पीड़िता के घर के बाहर उसे लगी गोली के कारतूस के खोखा के तौर पर पड़ा हुआ पाया जाना अभियुक्त को अपराध से जोड़ने की सीधी व सुदृढ़ साक्ष्य है।

53. जहां तक दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दिए गए इस तर्क का प्रश्न है कि बरामदगी खुले स्थान से की गई है और कोई स्वतंत्र मौतबिर भी नहीं रखा गया है इसलिए उक्त बरामदगी को अभियुक्त के विरूद्ध विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। गवाहान का शपथ पर बयान है कि अभियुक्त ने पिस्तौल कचरा के नीचे एक खड्डा खोदकर छुपाकर रखा हुआ था। उक्त स्थान खुला स्थान खेत का हिस्सा भले ही हो, परन्तु पिस्तौल की मौजूदगी केवल उसी व्यक्ति के ज्ञान में हो सकती है, जिसके द्वारा उक्त पिस्तौल को छुपाया गया हो या जिसने किसी को उक्त पिस्तौल छुपाते हुए देखा हो। अभियुक्त का ऐसा कोई बचाव नहीं है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पिस्तौल को छुपाते हुए देखा हो इसलिए यह माना जाएगा कि उक्त पिस्तौल का उक्त स्थान पर होना अभियुक्त के ज्ञान में था इसलिए उक्त पिस्तौल अभियुक्त के द्वारा ही उस स्थान पर छुपाकर

रखा गया था। लिहाजा अलाय जरब का अभियुक्त के कब्जा से उसकी निशानदेही से बरामद होना अभियुक्त को अपराध से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण, सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य है। बरामदगी के किसी भी मौतबिर को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उसकी अभियुक्त से कोई रंजिश हो। मात्र पुलिसकर्मी होने के आधार पर उनके शपथ पर दिए गए सुदृढ़ बयानों को अभियोजन का हितबद्ध होना कह कर नकारा नहीं जा सकता है। लिहाजा अभियुक्त के कब्जा से हथियार पिस्तौल की बरामदगी, जिसके संदर्भ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व आरमोर्र पी.ड. 11 दलवीर सिंह के शपथ पर दिए गए बयान उसके फायर आर्म की संज्ञा में होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, को अस्वीकार करने का कोई आधार मेरे समक्ष नहीं है। लिहाजा अभियुक्त के कब्जा से आग्नेयास्त्र का बरामद होना और उस आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल पीड़िता के घर के बाहर पीड़िता पर किये जाना प्रमाणित है, जिसके आधार पर अभियुक्त का पीड़िता के घर पर वाके के समय होना प्रमाणित करता है। अभियुक्त के पास मौजूद पिस्तौल से चली हुई गोली का खाली खाका पीड़िता के घर से मिलना और अभियुक्त द्वारा चलाई गई उक्त गोली के अनुरूप एक अन्य गोली का भी घटनास्थल से मिलना अभियुक्त को उस अपराध से अभियोजन गवाहान के शपथ पर दिए गए बयानों के अनुसार जोड़ने के लिए एक सुदृढ़ व पर्याप्त साक्ष्य है।

54. अतः उपरोक्त स्थिति में अभियोजन पक्ष के चश्मदर्शी गवाहान, पड़ौसी गवाहान व अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई साक्ष्य के प्रमाणन के गवाहान के शपथ पर दिए गए बयानों और उपरोक्त विश्वसनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त हनुमान प्रसाद दिनांक 23.12.2024 को शाम 5 बजे पीड़िता के घर पर मोटरसाईकिल पर पिस्तौल लेकर पहुंचा और पीड़िता की ढाणी में प्रविष्ट हुआ और पीड़िता व उसकी माता को धमकाने का प्रयास किया कि पीड़िता केवल उसी के साथ घर से बाहर जाएगी और कहा सुनी झगड़े के बाद उसके द्वारा जान से मारने के आशय से पीड़िता पर अपने द्वारा पहले से साथ लेकर आये देशी कट्टे आग्नेयास्त्र से फायर कर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया, जिस फायर करने के कारण पीड़िता की छाती पर बायीं तरफ ऊपर की ओर आग्नेयास्त्र की चोट कारित हुई। अतः घटना के दिवस पीड़िता की छाती पर पिस्तौल से फायर कर उपहति कारित करने के आशय से अभियुक्त द्वारा परिवादिया के घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार/गृह भेदन कर पीड़िता की हत्या करने के आशय से उस पर पिस्तौल से फायर किया गया, जो उसकी छाती में लगा। इस प्रकार अभियुक्त ने साशय व संज्ञानपूर्वक आग्नेयास्त्र पीड़िता की छाती पर फायर कर पीड़िता की हत्या करने का प्रयास किया तथा पीड़िता को शांति भंग करने हेतु प्रकोपित करने के आशय से फौस गालियां निकाल कर अपमानित किया। अतः

अभियुक्त द्वारा धारा 332, 352 व 109 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है।

55. जहां तक धारा 3/25 व 27 आयुध अधिनियम के आरोप का प्रश्न है, उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने अपने सचेत कब्जा में अनधिकृत तौर पर बिना लाईसेंस के एक देशी कट्टा, जो आग्नेयास्त्र की परिभाषा में आता है, रखा और उसे प्रयोग कर पीड़िता पर फायर किया। अभियुक्त द्वारा अपने सचेत कब्जा में बिना लाईसेंस आग्नेयास्त्र का रखना और उसका इस्तेमाल धारा 3/25 (1–बी)(ए) व 27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त अपराध भी प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से प्रमाणित होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा कानाराम पी.ड. 14 को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जो अपने शपथ पर दिये गये बयानों में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदर्शपी–76 अभियोजन बाबत दिया जाना बयान करता है। इस गवाह ने प्रति परीक्षण बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उसके द्वारा अपने मस्तिष्क एवं विवेक का प्रयोग कर अभियोजन स्वीकृति जारी न की गई हो। लिहाजा हाजिर अदालत अभियुक्त हनुमान प्रसाद के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा 3/25 (1–बी)(ए) व 27 के तहत अपराध के आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं। अपितु अभियुक्त हनुमान प्रसाद के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है, जिसका धारा 3/25 (1–बी)(ए) लघुत्तर अपराध है। अतः अभियुक्त हनुमान प्रसाद को लघुत्तर अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा। अतः अभियुक्त हनुमान प्रसाद को धारा 3/25 (1–बी)(ए) व 27 आयुद्ध अधिनियम के तहत अपराधों के आरोपों के लिए दोषसिद्ध करार दिए जाने योग्य पाया जाता है।

56. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अभियुक्त हनुमान प्रसाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 332, 109(1), 78(2), 352, 64(1) व आयुद्ध अधिनियम की धारा 3/25 (1–बी)(ए) व 27 के तहत अपराधों के आरोपों के लिये दोषसिद्ध करार दिये जाने योग्य पाया जाता है।

– आदेश–

57. अतः अभियुक्त हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सुभाष निवासी वार्ड नंबर 10, भूनावाली ढाणी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332, 109(1), 78(2), 352, 64(1) व आयुद्ध अधिनियम की धारा 3/25 (1–बी)(ए) व 27 के तहत अपराधों के आरोपों के लिये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

58. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त वर्तमान में लगभग 28 वर्षीय नवयुवक है, जो वर्ष 2024 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 07.01.2025 से लगातार अभिरक्षा में चल रहा है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता का पीछा करने एवं गाली गलौच करने तथा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, सम्मति के बिना धमकाकर लैंगिक मैथुन कर बलात्कार करने एवं पीड़िता की हत्या करने के प्रयास में पीड़िता के घर में अनधिकृत प्रवेश कर पीड़िता की हत्या करने के आशय से पिस्तौल से फायर कर पीड़िता की हत्या का प्रयास करने एवं बिना लाईसेंस के अवैध पिस्तौल अपने कब्जा में रखने एवं उक्त अपराध कारित किए जाने में उक्त पिस्तौल का प्रयोग करने के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं इसलिए अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

59. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा संबंधित विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया। अभियुक्त के विरूद्ध पीड़िता का पीछा करने एवं गाली गलौच करने तथा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध, सम्मति के बिना धमकाकर लैंगिक मैथुन कर बलात्कार करने एवं पीड़िता की हत्या करने के प्रयास में पीड़िता के घर में अनधिकृत प्रवेश कर पीड़िता की हत्या करने के आशय से पिस्तौल से फायर कर पीड़िता की हत्या का प्रयास करने एवं बिना लाईसेंस के अवैध पिस्तौल अपने कब्जा में रखने एवं उक्त अपराध कारित किए जाने में उक्त पिस्तौल का प्रयोग करने के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता देखते हुए अभियुक्त को निम्नांकित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

–दण्डादेश–

60. अतः अभियुक्त हनुमान प्रसाद पुत्र श्री सुभाष निवासी वार्ड नंबर 10, भूनावाली ढाणी पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ को दोषसिद्ध अपराध धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता के लिए सात वर्ष के साधारण कारावास एवं 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड, दोषसिद्ध अपराध धारा 78(2) भारतीय न्याय संहिता के लिए एक वर्ष के साधारण कारवास व 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड, दोषसिद्ध अपराध धारा 64 (1) भारतीय न्याय संहिता के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास व 25,000/– रूपये के अर्थदण्ड, दोषसिद्ध अपराध धारा 332 भारतीय न्याय संहिता के लिए तीन वर्ष के साधारण

कारावास व 5,000/– रूपये के अर्थदण्ड, दोषसिद्ध अपराध धारा 352 भारतीय न्याय संहिता के लिए छः माह के साधारण कारावास व 500/– रूपये के अर्थदण्ड, दोषसिद्ध अपराध धारा 3/25 (1–बी)(ए) आयुद्ध अधिनियम के लिए दो वर्ष के साधारण कारावास व 4,000/– रूपये के अर्थदण्ड व दोषसिद्ध अपराध धारा 27 आयुद्ध अधिनियम के लिए तीन वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त क्रमशः तीन माह, सात दिवस, तीन माह, पन्द्रह दिवस, तीन दिवस, पन्द्रह दिवस व पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बिताई गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि मूल सजा में समायोजित की जाएगी। समस्त सजाएं साथ–साथ चलेगी। उपरोक्तानुसार सजा वारण्ट तैयार किया जाए। प्रकरण में जप्तशुदा वजह सबूत पिस्तौल व खोखा/जिंदा कारतूस बाद गुजरने अपील अवधि नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के कार्यालय में जमा करवाये जाए। शेष वजह सबूत बाद गुजरने अपील अवधि नियमानुसार नष्ट किया जाए। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जाए।

Sd/-

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
हनुमानगढ़

61. निर्णय आज दिनांक 14.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
हनुमानगढ़

Executive Assistant & Personal Assistant Authenticated Document
MANOHAR LAL SHARMA
Digitally signed by MANOHAR LAL SHARMA
Date: 2026.07.17 11:29:10 +0530